न्यायालय : विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ मामलात (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01 बाड़मेर) बाड़मेर

जिला बाड़मेर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ॰ सिम्पल शर्मा, आर॰जे॰एस॰
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या :– 171/2016

सी॰ आई॰ एस॰ नंबर :– 56/2016

राजस्थान राज्य

..... **अभियोगी**

बनाम

मालाराम पुत्र अचलाराम, निवासी झुण्ड पुलिस थाना गिड़ा, हाल बायतु चिमनजी, पुलिस थाना बायतु

..... **अभियुक्त**

धारा 8/15, 8/17, 8/18 एन॰डी॰पी॰एस॰ एक्ट, 1985 तथा

14, 16, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री सुरेशचन्द्र मोदी, विद्वान् विशिष्ट लोक अभियोजक राज्य की ओर से।
2. श्री माधोसिंह चौधरी, विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

–:: निर्णय ::– **दिनांक : 24.03.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 17.10.2009 को वक्त 10:15 ए.एम. पर मन एस.एच.ओ. हरजीराम को जरिए टेलीफोन मुखबीर खास से इत्तला मिली कि आबादी ग्राम बायतु चिमनजी में मालाराम पुत्र अचलाराम, निवासी जुंड हाल बायतु चिमनजी ने मोहनसिंह पुत्र रूपाराम, निवासी बायतु चिमनजी का मकान किराये पर ले रखा है। उक्त किराये के मकान में मालाराम अवैध पोस्त–डोडे एवं शराब लाता, रखता व बेचता है, मकान की तलाशी जी जावे तो भारी मात्रा में अवैध शराब व पोस्त

डोडे बरामद हो सकते हैं। उक्त इत्तला पर धारा 42 एन.डी.पी.एस. एक्ट तथा 47 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत बिना वारंट उक्त मकान की खाना तलाशी के वजुहात की फर्द मुर्तिब कर बिना वारन्ट खाना तलाशी के वजुहात का उल्लेख करते हुए रोजनामचा आम में इत्तला तथा वजुहात की रपट दर्ज कर फर्द इत्तला एवं वजुहात बिना वारन्ट खाना तलाशी की एक–एक कार्बन प्रति श्रीमान् एसपी साहब एवं सीओ साहब बाड़मेर को विशेष वाहक सायरगिरी कॉनिस्टेबल नंबर 453 के हमराह बंद लिफाफे में प्रेषित कर कॉनिस्टेबल प्रहलादराम 609 के जरिये मोतबीरान नरेन्द्र कुमार व जेठाराम की तलबी की जाकर मोतबीर बनने की सहमति लिखित में प्राप्त कर वक्त 11:00 ए.एम. पर मन एस.एच.ओ. हरजीराम मय ए.एस.आई. सवाईसिंह, एफ.सी. खेराजराम 488, गणेशाराम 807, प्रहलादराम 609, केसराराम 670 तथा चालक श्रवणाराम 645 के जरिये सरकारी जीप आर.जे. 04 यूए 0243 मय कांटा–बाट एवं अनुसंधान बॉक्स के मोतबीरान को हमराह लेकर थाना से रवाना होकर वक्त 11:05 पर आबादी ग्राम बायतु चिमनजी में मालाराम पुत्र अचलाराम के किराये के कब्जासुदा मकान पर ए.एस.आई. सवाईसिंह की पहचान पर पहुंचा, जहां पर मैन गेट पर जाकर दरवाजा खटखटाया तो एक व्यक्ति पेंट शर्ट पहना हुआ दरवाजा खोलकर बाहर आया, जिसको मोतबीरान के रूबरू उसका नाम–पता पूछा तो उसने अपना नाम मालाराम पुत्र अचलाराम, निवासी जुंड हाल बायतु चिमनजी बताया। मकान के बारे में पूछा तो बताया कि यह मकान मोहनसिंह पुत्र रूपाराम, निवासी बायतु चिमनजी का है, जो मकान गत तीन साल से उसने मोहनसिंह से किराये पर ले रखा है। वर्तमान में गत तीन साल से उसके कब्जे में है, जिस पर रूबरू मोतबीरान मकान में उपस्थित मालाराम को मन एस.एच. ओ. द्वारा अवैध पोस्त डोडा तथा अवैध शराब बाबत् मुखबीर से मिली इत्तला से अवगत करवाकर मन एस.अच.ओ. एवं हमराह जाब्ते ने मोतबीरान के रूबरू मालाराम को स्वयं की जामा तलाशी देकर मन एस.एच.ओ. व हमराही जाब्ते ने मकान में प्रवेश किया तथा मकान की खाना तलाशी लेनी शुरू की, तो मकान के पिछवाड़े बने पुराने पक्के ओरेनुमा कमरे के लगे हरे रंग के लकड़ी के किवाड़ के लगे ताले को खुलवाकर अंदर प्रवेश कर देखा, तो अंदर कांटे–बाट, ताकड़ी, पोस्त

डोडो से भरा एक सफेद कट्टिया, अफीम की थैलियां, विभिन्न प्रकार की अंग्रेजी शराब के कार्टुन तथा हथकड़ी शराब के जरीकन रखे हुए पाए गए, जिस पर पोस्त डोडों, अफीम व शराब रखने बाबत् मालाराम को लाइसेंस या परमिट का पूछा तो उसने अपने पास कोई परमिट या लाईसेंस नहीं होना बताया। उक्त पोस्त डोडा, अफीम व शराब का तोल, माप व गिनती शुरू की गई तो एक सफेद कट्टे में 11 कि.गा. 800 ग्राम पोस्त डोडे भरे हुए पाए गए, जिसमें से 500–500 ग्राम के रासायनिक व कंट्रोल सैंम्पल पृथक–पृथक लिए जाकर पृथक–पृथक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर रासायनिक परीक्षण सैम्पल पर मार्क ए तथा कंट्रोल सैम्पल पर मार्क बी अंकित किया गया। शेष 10 किलो 800 ग्राम पोस्त डोडे को उसी सफेद कट्टे में डालकर सील मोहर कर मार्क सी अंकित किया गया। अंग्रेजी शराब ऑफिसर चोईस की शराब से भरी बोतलों का एक कार्टून सील चेपा कर मार्क डी अंकित किया गया। सिल्वर पेग विस्की की शराब से भरी बोतलों के दो कार्टून सील चेपाकर मार्क क्रमशः ई व एफ अंकित किए गए। बेग पाईपर विस्की की शराब से भरी बोतलों के तीन कार्टून सील चेपाकर मार्क क्रमशः जी, एच व आई अंकित किए गए। बैग पाइपर विस्की के शराब से भरे पव्वों के दो कार्टून सील चेपाकर मार्क्स क्रमशः जे व के अंकित किए गए। सिल्वर पेग विस्की के शराब के भरे पव्वों के एक कार्टून सील चेपाकर मार्क एल अंकित किया गया। एक सफेद कट्टे में बेग पाईपर विस्की की छः बोतलें, ड्राईजिन शराब की दो बोतलें, मेक्डोव्ल नं 01 विस्की की एक बोतल, पार्टी स्पेशल विस्की की एक बोतल, मेक्डोव्ल नं. 01 रम का एक पव्वा, ड्राईजिन के 19 पव्वे तथा ऑफिसर चोईस विस्की के 03 पव्वे पाए गए, जिनमें से एक बैग पाईपर विस्की की बोतल, एक ड्राईजिन की बोतल तथा एक मैक्डोव्ल रम का पव्वा वास्ते रासायनिक परीक्षण लिया जाकर सील चेपा कर क्रमशः मार्क एम, एन तथा ओ अंकित किया गया। शेष कट्टे में रखी बोतलें व पव्वे उसी कट्टे में रहने दिए जाकर सील चेपा कर मार्क पी अंकित किया गया। एक हरे रंग के प्लास्टिक के काले ढक्कन वाले जरीकन में हथकड़ी शराब भरी पाई गई, जिसको एक खाली मटके में खाली कर 750 एम.एल. की बोतल भर–भर कर माप करते हुए पुनः जरीकन में शराब डाली गई तो कुल 26 बोतल हथकड़ी

शराब हुई, जिसमें से एक खाली पव्वा वास्ते रासायनिक परीक्षण हथकड़ी शराब से भरा जाकर सील चेपाकर मार्क क्यू अंकित किया गया। शेष हथकड़ी शराब उसी जरीकन में सील चेपा कर मार्क आर अंकित किया गया। एक सफेद मेणिये की थैली में हाथ से तैयार किए गए अफीम जैसी काले भूरे रंग की बटियां रखी हुई पाई गई, जिसको देखा, परखा व सूंघा तो अफीम होना पाया जाने पर तोल किया गया, तो अफीम की बटियां का वजन 850 ग्राम हुआ, जिसमें से 30–30 ग्राम अफीम वास्ते रासायनिक व कंट्रोल सैम्पल लिया जाकर पृथक–पृथक सफेद प्लास्टिक की छोटी–छोटी थैली में डाल कर सफेद प्लास्टिक की छोटी डिब्बियों में रखकर सफेद कपड़े की थैली में सील मोहर कर रासायनिक परीक्षण सैम्पल पर मार्क एस व कंट्रोल सैम्पल पर मार्क टी अंकित किया गया। शेष 790 ग्राम अफीम की बटियों को उसी मेणिये की थैली में रहने दी जाकर सफेद कपड़े की थैली में सील मोहर कर मार्क यू अंकित किया गया। एक सफेद मेणिये की थैली में अफीम का दूध जैसा तरल पदार्थ काले–भूरे रंग का भरा हुआ पाया गया, जिसको देखा, सूंघा व परखा तो अफीम का दूध होने की पुष्टि होने पर तोल किया गया तो वजन थैली सहित 180 ग्राम हुआ, जिसमें से 30–30 ग्राम अफीम का दूध वास्ते रासायनिक व कंट्रोल सैम्पल पृथक–पृथक लिया जाकर छोटी–छोटी सफेद थैली में डालकर सफेद प्लास्टिक की डिब्बियों में रखकर सफेद कपड़े की थैली में सील मोहर कर रासायनिक परीक्षण सेम्पल पर मार्क वी तथा कंट्रोल सैम्पल पर मार्क डब्ल्यू अंकित किया गया, शेष 120 ग्राम अफीम का दूध उसी मेणिये की थैली में रहने दिया जाकर सफेद कपड़े की थैली सील मोहर कर मार्क एक्स अंकित किया गया। एक पीतल की अफीम तौलने की छोटी ताकड़ी तथा एक तौला वजनी पुराना सिक्का तथा पोस्त डोडे तौलने का लोहे का तराजू Nelco Aman Scale Company का तथा लोहे के बाट एक कि.ग्रा. का एक तथा 500 ग्राम का एक वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया जाकर एक सफेद कट्टे में डालकर सील चेपा कर मार्क वाई अंकित किया गया। बाद मकान की संपूर्ण तलाशी मालाराम के लकड़ी के डबल बैड के सिराणे रखे हुए नकद रुपए 1000 के 16 नोट, 500–500 के 113 नोट, 100–100 के 58 नोट, 50–50 के 27 नोट, 20–20 के 5 नोट, 10–10 के 379 नोट, 5–5

के 79 नोट तथा एक, दो व पांच रुपए के सिक्के को रेजगी 1050 रुपए, इस प्रकार कुल 84,985/– रुपए पाए गए, जो शराब, पोस्त डोडे, अफीम की बिक्री के संदेह में कब्जा पुलिस लिए जाकर सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर मार्क जेड अंकित कर जरिये फर्द बरामदगी के कब्जा पुलिस लिए गए। मुलजिम मालाराम पुत्र अचलाराम को रूबरू मौतबीरान के नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया। ताबाद मौके की कार्यवाही पूर्ण कर रवाना होकर बरामदा माल/शील्ड बंद पैकेट्स मार्क्स 'ए' से 'जेड' मय गिरफ्तार सुदा मुलजिम मालाराम को हमराह लेकर थाना पहुंचे तथा थाना पहुंच मुकदमा संख्या 158/2009 अपराध धारा 8/15, 17, 18 एन॰डी॰पी॰एस॰ एक्ट, 1985 तथा 14, 16, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त मालाराम के विरुद्ध जुर्म धारा 8/15, 17, 18 एन॰डी॰पी॰एस॰ एक्ट, 1985 तथा 14, 16, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत आरोप पत्र विशिष्ठ न्यायाधीश, एन॰डी॰पी॰एस॰ एक्ट, 1985 के मामलात, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा के न्यायालय में दिनांक 29.06.2016 को अंतरित किया गया, तत्पश्चात् दिनांक 05.08.2016 को माननीय सेशन न्यायालय, बालोतरा द्वारा प्रकरण इस न्यायालय में अंतरित किया गया, जिस पर प्रकरण दिनांक 26.08.2016 दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 8/15, 8/17, 8/18 एन॰डी॰पी॰एस॰ एक्ट, 1985 तथा 14, 16, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत आरोप पृथक से विरचित किए जाकर सुनाए–समझाए गए तो अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। गवाहान को तलब किया गया।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहान को परीक्षित करवाया गया :–

अभियोजन गवाहान संख्या	**गवाह का नाम**
पी–डब्ल्यू 01	गणेशाराम
पी–डब्ल्यू 02	खेराजराम

पी–डब्ल्यू 03	नरेन्द्र कुमार
पी–डब्ल्यू 04	जेठाराम
पी–डब्ल्यू 05	सवाईसिंह
पी–डब्ल्यू 06	हरजीराम
पी–डब्ल्यू 07	किशनाराम
पी–डब्ल्यू 08	विरधाराम
पी–डब्ल्यू 09	मोहनसिंह
पी–डब्ल्यू 10	सायरगिरी
पी–डब्ल्यू 11	हरिराम
पी–डब्ल्यू 12	नरेश कुमार
पी–डब्ल्यू 13	लक्ष्मणसिंह
पी–डब्ल्यू 14	गेमरसिंह
पी–डब्ल्यू 15	केसराराम
पी–डब्ल्यू 16	प्रहलादराम
पी–डब्ल्यू 17	जगदीश राम
पी–डब्ल्यू 18	मेहन्द्र कुमार टाक

प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए:–

प्रदर्श संख्या	**दस्तावेज का विवरण**
प्रदर्श–पी 1	फर्द तहरीर तलबी मोतबीरान
प्रदर्श–पी 2	फर्द सहमति मोतबीर नरेन्द्र कुमार
प्रदर्श–पी 3	फर्द जब्ती
प्रदर्श–पी 4	फर्द खाना तलाशी
प्रदर्श–पी 5	फर्द नमूना सील बरामदगी अवैध पोस्त, डोडा, अफीम व शराब
प्रदर्श–पी 6	फर्द वजुहात कारण एवं सूचना गिरफ्तारी
प्रदर्श–पी 7	गवाह नरेन्द्र कुमार के पुलिस बयान
प्रदर्श–पी 8	फर्द सहमति मोतबीर जेठाराम
प्रदर्श–पी 9	गवाह जेठाराम के पुलिस बयान
प्रदर्श–पी 10	फर्द इत्तला अवैध डोडा पोस्त एवं अवैध शराब
प्रदर्श–पी 11 व 12	फर्द इत्तला अवैध डोडा पोस्त एवं अवैध शराब की कार्बन प्रति
प्रदर्श–पी 13ए से 17ए	रोजनामचा आम की प्रमाणित प्रतियां
प्रदर्श–पी 18	चाक एफ.आई.आर.
प्रदर्श–पी 19	एफ.एस.एल. रिपोर्ट
प्रदर्श–पी 20 व 21	कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना बायतु, जिला बाड़मेर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट
प्रदर्श–पी 22ए से 24ए	रोजनामचा आम की प्रमाणित प्रतियां
प्रदर्श–पी 25 व 26	प्राप्ति रसीद

प्रदर्श–पी 27 व 28	रोड सर्टिफिकेट
प्रदर्श–पी 29	किरायानामा की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श–पी 30ए	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श–पी 31 व 32	थाने का अग्रेषण पत्र
प्रदर्श–पी 33	एफ.एस.एल. रिपोर्ट
प्रदर्श–पी 34 व 35	एसपी का अग्रेषण पत्र
प्रदर्श–पी 36ए व 37ए	रोजनामचा आम की प्रमाणित प्रतियां
प्रदर्श–पी 38	गवाह नरेश कुमार के पुलिस बयान
प्रदर्श–पी 39	प्रथम सूचना रिपोर्ट
प्रदर्श–पी 40	इंवेंट्री रिपोर्ट भिजवाने बाबत न्यायालय का पत्र
प्रदर्श–पी 41 व 42	इंवेंट्री कार्यवाही के संबंध में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर की आदेशिका
प्रदर्श–पी 43	इंवेंट्री के सत्यापन का प्रमाण पत्र
प्रदर्श–पी 44	प्राप्ति रसीद
प्रदर्श–पी 45 से 85	इंवेंट्री कार्यवाही के फोटोग्राफ्स
प्रदर्श–पी 86	इवेंट्री कार्यवाही के संबंध में सत्यापन प्रमाण पत्र

अभियुक्त पक्ष की ओर से फर्द नक्शा व हालात मौका प्रदर्श डी 1, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम मालाराम प्रदर्श डी 2 तथा गवाह हरीराम व सायरगिरि के पुलिस बयान प्रदर्श डी 3 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए हैं।

दौराने अभियोजन साक्ष्य नमूना सेम्पल मार्क 'एस' आर्टिकल–1, नमूना सेम्पल मार्क 'वी' आर्टिकल–2, कंट्रोल सेम्पल मार्क 'डब्ल्यू' आर्टिकल–3, कंट्रोल सेम्पल मार्क 'टी' आर्टिकल–4, वजह सबूत माल अफीम की बटियां आर्टिकल–5, वजह सबूत माल अफीम का दूध बाद इंवेंट्री आर्टिकल–6, कंट्रोल सेम्पल मार्क 'बी' आर्टिकल–7, नमूना सेम्पल मार्क 'ए' आर्टिकल–8 व तराजू, ताकड़ी, तौल बाट सीलशुदा पैकेट मार्क 'वाई' आर्टिकल 9 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है।

4. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 351 सपठित धारा 316 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में दर्ज किए गए, अभियुक्त ने अभियोजन गवाहान के कथनों को गलत होना बताते हुए कथन किया कि उसके मकान से कोई अवैध वस्तु बरामद नहीं हुई है। उसके मकान से उसकी दुकान के कलेक्शन के रुपए प्राप्त हुए।

सभी बरामदगी मोहनसिंह एचसी के कच्चे झोपे से हुई थी। बरामदगी स्थल उसके कब्जे में नहीं था। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहा।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान् विशिष्ट लोक अभियोजक ने यह तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध पूर्ण रूप से प्रमाणित है। संपूर्ण कार्यवाही विधिनुसार की गई है, जब्तीकर्ता अधिकारी स्वयं के द्वारा की गई समस्त कार्यवाही को प्रमाणित करवाया है। पुलिस ने प्रकरण में विधिनुसार कार्यवाही की है व बरामदशुदा अवैध डोडा पोस्त, अवैध अफीम की बटियां, अवैध अफीम का दूध व अवैध शराब होना प्रमाणित किया है। बरामदशुदा मादक पदार्थ सुरक्षित हालत में रासायनिक प्रयोगशाला में प्रेषित किया गया है। रासायनिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अभिलेख पर मौजूद है, जिसके अनुसार बरामदशुदा पदार्थ डोडा पोस्त, अफीम की बटियां, अफीम का दूध व शराब है। सभी साक्षीगण ने एक–दूसरे के कथनों की पुष्टि करते हुए साक्ष्य दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे पूर्ण रूप से प्रमाणित हुआ है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने की प्रार्थना की।

6. जबकि विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या आरोपित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में धारा 42 एन॰डी॰पी॰एस॰ एक्ट, 1985 व 47 आबकारी अधिनियम के प्रावधान की पालना नहीं की गई है और न ही अभियुक्त से बरामदगी साबित है। इसके अलावा हस्तगत में धारा 52ए एन॰डी॰पी॰एस॰ एक्ट, 1985 की भी पालना नहीं हुई है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी एवं जब्ती अधिकारी एक ही हैं जो विधिसम्मत नहीं है। जब्ती अधिकारी व अन्य गवाहान के द्वारा विरोधाभासी एवं भिन्न–भिन्न साक्ष्य दी गयी है। इसके अलावा स्वतंत्र मौतबीरान पक्षद्रोही रहे हैं। अभियुक्त के विरुद्ध कोई ठोस एवं स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है, जिससे उसका अपराध से संबंध स्थापित होता हो। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया है। अभियोजन पक्ष की

ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से संदेह से परे अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित आरोप प्रमाणित नहीं होते है, अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की।

7. उभय पक्षकारान् के तर्कों पर गौर किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस सेशन प्रकरण के विनिश्चय हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न बिन्दु विचारणीय है :–

(i) आया दिनांक 04.12.2009 को समय 10:15 ए.एम. पर थानाधिकारी, पुलिस थाना बायतु, जिला बाड़मेर को मिली सूचना पर मय जाब्ता के ग्राम बायतु में अभियुक्त मालाराम के किरायेशुदा मकान पर पहुंच कर नियमानुसार तलाशी लिए जाने पर मकान के पिछवाड़े में बने ओरेनुमा कमरे में एक कट्टे में 11 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्त, एक मेणीये की थैली में 850 ग्राम विनिर्मित अफीम तथा एक मेणीये की थैली सहित 180 अफीम का दूध बरामद हुआ, जिसके संबंध में उसके पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र/परमिट नहीं था एवं अंग्रेजी शराब अफिसर चोईस शराब से भरी बोतलों का कार्टून, सिल्वर पेग विस्की की शराब से भरी बोतलों के दो कार्टून, बेग पाईपर विस्की शराब से भरी बोतलों के तीन कार्टून, बेग पाईपर विस्की शराब से भरे पव्वों के दो कार्टून, सिल्वर पेग विस्की के शराब के भरे पव्वों का एक कार्टून, एक सफेद कट्टे में बेग पाईपर विस्की की छः बोतलें, ड्राईजिन शराब की दो बोतलें, मेक्डोव्ल नंबर 01 विस्की की एक बोतल, पार्टी स्पेशल विस्की की एक बोतल, मेक्डोव्ल नंबर 01 रम का एक पव्वा, ड्राईजिन के 19 पव्वे, ऑफिसर चाईस के तीन पव्वे, एक प्लास्टिक के जरीकेन में 26 बोतलें हथकड़ी शराब से भरी हुई मिली, जिन्हें आधिपत्य में रखने, विनिर्माण करने, संग्रहण या विक्रय करने का उसके पास कोई वैध अनुज्ञापत्र/परमिट नहीं था?

(ii) यदि हाँ, तो अभियुक्त को दण्ड की किस मात्रा से दंडित किया जाए?

8. हस्तगत प्रकरण में गवाह पी–डब्ल्यू 01 गणेशाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह दिनांक 17.10.2009 को कॉनिस्टेबल के पद पर पी.एस. बायतु में कार्यरत था। उस रोज तत्कालीन थानाधिकारी को मिली सूचना अनुसार वक्त 11.00 ए.एम. पर थानाधिकारी श्री हरजीराम के साथ वह, एएसआई सवाईसिंह, अन्य जाब्ता वह, खेराजराम, प्रहलादराम, केसराराम, श्रवणराम के मय मामूरा मौतबीरान नरेन्द्रकुमार व जेठाराम के जरीये सरकारी वाहन व अन्वेषण बॉक्स मय कांटा–बाट के थाने से रवाना होकर वक्त 11.05 ए.एम. पर कस्बा बायतु में मालाराम पुत्र अचलाराम, निवासी झूण्ड पुलिस थाना गिड़ा के किराये के रहवासी मकान पर पहुंच दरवाजा खटखटाया तो अन्दर से एक पेन्ट शर्ट पहना हुआ व्यक्ति बाहर आया, जिसको थानाधिकारी हरजीराम ने मुखबीर सूचना से अवगत करवा कर रूबरू मौतबीरान नाम–पता पूछा तो उसने अपना नाम मालाराम पुत्र अचलाराम होना बताया, जिसको मकान के बारे में पूछा तो मकान मोहनसिंह पुत्र रूपाराम, निवासी बायतु चिमनजी का होना बताया तथा पिछले तीन साल से किराये पर लेना बताया। मालाराम को मुखबीर सूचना से अवगत करवा कर थानाधिकारी मय हमराह जाब्ता ने रूबरू मौतबीरान के जामा तलाशी लिरवाकर मकान में प्रवेश कर मकान के पिछवाड़े बने कमरे का ताला खुलवा कर खाना तलाशी लेनी शुरू की तो कमरे में डोडा पोस्त, अंग्रेजी शराब, हथकड़ी शराब, अफीम, व अफीम का दूध पाया गया। उक्त प्रतिबंधित सामग्री को मालाराम द्वारा अपने कब्जे में रखने बाबत् परमिट व लाईसेंस का पूछा तो अपने पास कोई परमिट व लाईसेंस नहीं होना बताया। जिस पर मालाराम का कृत्य धारा 8/15, 17, 18 एनडीपीएस एक्ट, 1985 व 14, 16 व 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से सफेद कट्टे में मिले डोडा पोस्त को कट्टे में से खाली कर तौल किया गया तो कुल तौल 11 किलो 800 ग्राम होना पाया गया, जिनमें से 500–500 ग्राम डोडा पोस्त पृथक–पृथक थैलियों में रसायनिक परीक्षण व कन्ट्रोल सेम्पल हेतु अलग किए, जिन पर मार्क क्रमशः ए व बी व शेष डोडा पोस्त को उसी कट्टे में डाल कर सीलचेपा कर मार्क सी अंकित किया। ताबाद विभिन्न ब्राण्ड के चण्डीगढ़/हरीयाणा निर्मित अग्रेजी शराब की बोतलों व पव्वों से भरे कुल 9 कार्टूनों पर मार्क क्रमशः डी से एल अंकित किया। एफ सफेद

कट्टे में विभिन्न ब्राण्ड की हरियाणा/चण्डीगढ़ निर्मित अग्रेजी शराब से भरी हुई कुल 10 बोतलें व 23 पव्वे मिले, जिनमें से बैग पाईपर व ड्राईजीन ब्राण्ड की बोतलें व मेक्डोव्ल रम का पव्वा रासायनिक परीक्षण हेतु अलग कर सीलचेपा कर मार्क क्रमशः एम, एन, ओ अंकित किया शेष शराब की बोतलों व पव्वों को उसी सफेद कट्टे में डाल कर सीलचेपा कर मार्क पी अंकित किया। एक असमानी रंग के जरीकन में हथकड़ी शराब पाई जाने पर हथकड़ी शराब को मटकी में खाली कर 750 एम.एल. की बोतल से माप किया गया तो कुल 26 बोतल हथकड़ी शराब पाई गई, जिसमें से एक पव्वा वास्ते रासायनिक परीक्षण हेतु अलग कर सीलचेपा कर मार्क क्यू अंकित किया व शेष हथकड़ी शराब को उसी जरीकन में डाल कर सीलचेपा कर मार्क आर अंकित किया। एक सफेद मेणिये की थैली में 850 ग्राम अफीम पाया जाने पर उसमें से 30–30 ग्राम अलग कर रासायनिक परीक्षण व कन्ट्रोल सेम्पल हेतु अलग कर सीलचेपा कर मार्क क्रमशः एस व टी व शेष माल को उसी मोणिये की थैली में डाल कर सीलचेपा कर मार्क यू अंकित किया। एक अन्य मेणिये की थैली में 180 ग्राम अफीम का दूध पाया जाने पर उसमें से 30–30 ग्राम रासायनिक परीक्षण व कन्ट्रोल सेम्पल हेतु अलग कर सीलचेपा कर मार्क वी व डब्ल्यू अंकित किया व शेष अफीम के दूध को उसी मेणिये की थैली में डाल कर सीलचेपा कर मार्क एक्स अंकित किया। थाना तलाशी के दौरान उसी कमरे में मिले तराजू व बांटों को वास्ते वजह सबूत जब्त कर एक सफेद कपड़े की थैली में डाल कर मार्क वाई अंकित किया। तत्पश्चात् मालाराम द्वारा उसी घर में किराये पर लिये अन्य कमरे की खाना तलाशी ली गई तो मालाराम के डबल बेड से सिराने 1000–500–100–50–20–10–5 नोट व 1, 2, व 5 के सिक्कों सहित कुल 84,985/– रुपए पाये गये। जो मालाराम द्वारा अवैध डोडा पोस्त, अग्रेजी शराब, हथकड़ी शराब, अफीम व अफीम का दूध की बिक्री से प्राप्त करना बताने पर वास्ते वजह सबूत जब्त कर एक सफेद कपड़े की थैली में डाल कर सीलचेपा कर मार्क जेड अंकित किया। बाद दोनों कमरों की खाना तलाशी के ताले बंद कर चाबियां मालाराम को सुपूर्द की। तत्पश्चात् बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी मुर्तिब किया। अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाकर नियमानुसार बाद जामा

तलाशी गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के थानाधिकारी मय हमराह जाब्ता मय जब्तशुदा पैकेट्स मार्क ए से जेड, मय अभियुक्त मय अन्वेषण बॉक्स, जरिये सरकारी वाहन मौके से रवाना होकर थाना पहुंचे, जहां एसएचओ ने इस संबंध में प्रकरण सं. 158 दिनांक 17.10.2009 अन्तर्गत धारा 8/15, 17, 18 एनडीपीएस एक्ट व 14, 16 व 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया। जब्तशुदा माल को जमा मालखाना करवाया व अभियुक्त को बंद हवालात करवाया। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने बताया कि बरामदगी स्थल वाला मकान थाने से करीबन 300 मीटर दूरी पर आया हुआ है। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उक्त मकान का मालिक मोहनसिंह था। जिस कमरे में पोस्त, अफीम व शराब बरामद हुई, उस कमरे में मालाराम का ऐसा कोई सामान नहीं मिला कि जिससे मालाराम की पहचान प्रदर्शित होती हो। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी 1 अपराध नक्शा मौका, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श डी 2 पर उसके कहीं हस्ताक्षर नहीं है। बरामदशुदा डोडे थानाधिकारी व हमराह जाब्ता ने तौले थे, जाब्ते में किस–किस ने तौले उनके नाम याद नहीं। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि सेम्पल व कंट्रोल सेम्पल किसी पर भी उसके हस्ताक्षर नहीं है। सील पुलिस स्टेशन बायतु की थी। मौके पर कार्यवाही करीबन 7 घंटे चली थी। उक्त बरामदगी के वक्त पड़ोस में कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं आया था, जाब्ता, मौतबीरान व मुलजिम ही थे। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि किसी भी अंग्रेजी शराब से भरी बोतल को खोल कर चैक नहीं किया था। उक्त कमरे में बरामदगी के वक्त मालाराम के नाम कोई बिजली या पानी का बिल इत्यादि नहीं मिला था। गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि बरामदगी के समय बरामदगी स्थल वाला कमरा मोहनसिंह के कब्जे में हो।

9. गवाह पी–डब्ल्यू 02 खेराजराम ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह दिनांक 17.10.2009 को कॉनिस्टेबल के पद पर पी.एस. बायतु में कार्यरत था। उस रोज एसएचओ हरजीराम को वक्त 10.15 ए.एम. पर मुखबीर से इत्तला मिली कि मालाराम पुत्र अचलाराम, निवासी झूण्ड जो

कि बायतु चिमनजी में मोहनसिंह पुत्र रूपाराम, निवासी बायतु चिमनजी वाले के मकान में अवैध पोस्त डोडे, शराब, अफीम, वगैरह रखता है, अगर समय रहते दबीश/तलाशी ली जाती है तो भारी मात्रा में अवैध पोस्त डोडे, शराब, अफीम वगैरह बरामद हो सकते हैं, जिस पर एसएचओ हरजीराम ने कॉनिस्टेबल प्रहलादराम से स्वतन्त्र मौतबीर तलबी करवा कर जेठाराम व नरेन्द्र को मोतबीर रहने की सहमति प्राप्त कर वक्त 11.00 ए.एम. पर वह, एसएचओ साहब, पुलिस जाब्ता के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु रवाना हुये। वक्त 11.05 ए.एम. पर वे लोग मोहनसिंह पुत्र रूपाराम, निवासी बायतु चिमनजी वाले के मकान पर पहुंचे, जिस पर हमराह जाब्ता में से एएसआई सवाईसिंह ने उक्त मकान की पहचान की व एसएचओ हरजीराम ने उक्त मकान का दरवाजा खटखटाया तो एक व्यक्ति पेंन्ट, शर्ट पहना हुआ आया, जिसको हरजीराम ने नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मालाराम पुत्र अचलाराम, निवासी झुंण्ड होना बताया। उक्त मालाराम को एसएचओ हरजीराम ने मुखबीर की इत्तला से अवगत करवा कर हमराह सभी जाब्ता के रूबरू मौतबीरान अपनी तलाशी देकर मकान में प्रवेश किया व मकान की तलाशी लेनी शुरू की तो मकान के पिछवाड़े में बने पड़वेनूमा पक्के ओरे के लकड़ी के दरवाजे के ताले को खुलवा कर देखा तो पड़वे में एक सफेद कट्टे में पोस्त डोडे, शराब, हथकड़ शराब, अफीम, अफीम का दूध व कांटे बाट पाये गये, जिस पर मालाराम को उक्त माल रखने बाबत् रूबरू मौतबीरान लाईसेंस व परमिट के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया, जिस पर उक्त पोस्त डोडे का वजन किया गया तो कुल 11 किलो 800 ग्राम, अफीम का वजन किया गया तो 780 ग्राम, व अफीम के दूध का वजन किया गया तो कुल 180 ग्राम होना पाया गया। जिसको जरीये फर्द जब्ती के जब्त कर, बरामदा अवैध शराब 150 बोतल को भी जब्त कर अलग–अलग मार्क अंकित किए। ताबाद मौका कार्यवाही कर अभियुक्त मालाराम को गिरफ्तार कर बरामदा माल, मुलजिम को हमराह लेकर थाना पहुंचे, जिस पर एसएचओ साहब ने सीआर नंबर 158/09 एनडीपीएस एक्ट व राजस्थान आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि इत्तला मोहनसिंह के मकान

जिसमें मालाराम किराये पर रहता है, वहां से अवैध मादक पदार्थ बरामद होने के संबंध में थी। मालाराम मकान पर हाजिर मिला था। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि बरामदगी स्थल मकान के पिछवाड़े बने ओरेनुमा कमरे में था जो मकान की दीवार के अंदर ही स्थित था। मोहनसिंह के मकान में मालाराम के दो कमरे व एक पड़वा भी किराये पर ले रखा था। गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि मोहनसिंह के मकान में मालाराम के पड़वा किराये पर नहीं लिया हुआ हो। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके मौके पर किसी भी फर्द पर हस्ताक्षर नहीं कराये थे। उस समय वह हरजीराम का अधीनस्थ कर्मचारी था। उसे याद नहीं कि बरामदगी के समय हरजीराम ने पड़ोस के किसी व्यक्ति को बुलाकर उक्त ओरे के कब्जे व स्वामित्व के संबंध में पूछताछ की हो।

10. गवाह पी–डब्ल्यू 03 नरेन्द्र कुमार अपने सशपथ बयानों में पक्षद्रोही रहा है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसकी दुकान बायतु में पुलिस थाना पंचायत समिति के सामने आयी हुई है। जहां से पुलिस ने साक्ष्य दिवस से करीब 9 साल पहले दिन के करीबन 12–1 बजे बुलाया और उसके पास बैठे ग्राहक जेठाराम को भी बुलाकर ले गए थे। वहां पर पुलिस ने कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। पुलिस ने उसके सामने किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं की थी। विद्वान् विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने फर्द तहरीर मौतबीरान प्रदर्श पी 1 व फर्द सहमति प्रदर्श पी 2 पर ए से बी अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। फर्द सहमति प्रदर्श पी 2 की सी से डी लिखावट उसकी कलमी है। वह हाजिर अदालत मुलजिम को नहीं जानता है। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 3, फर्द खाना तलाशी प्रदर्श पी 4 व फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 5 पर ए से बी गवाह ने अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। नक्शा बरामदगीस्थल प्रदर्श डी 1 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द सूचना गिरफ्तारी प्रदर्श पी 6 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी मुलजिम प्रदर्श डी 2 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि दिनांक 17.10.2009 को 10:35 ए.एम. पर पुलिस वाले उसको मोतबीर बनाकर ले

गए हो तथा उसने मोतबीर बनने की सहमति दी हो तथा बाद में मुलजिम मालाराम के मकान से डोडा व अन्य की बरामदगी की हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी 7 का ए से बी भाग गवाह ने नहीं देना बताया है।

11. गवाह पी–डब्ल्यू 04 जेठाराम अपने सशपथ बयानों में पक्षद्रोही रहा है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि साक्ष्य दिवस से करीब 9 साल पहले पुलिस ने उसके सामने मुलजिम मालाराम के किराये के मकान से कोई डोडा पोस्त बरामद नहीं किए थे। वह मोतबीर में गया था, दस्तखत थाने में करवाए थे। उसने मोतबीर बनने की कोई सहमति नहीं दी थी। विद्वान् विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने फर्द तहरीर मौतबीरान प्रदर्श पी 1, फर्द सहमति प्रदर्श पी 8, फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 3, फर्द खाना तलाशी प्रदर्श पी 4, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 5 व नक्शा बरामदगीस्थल प्रदर्श डी 1 पर सी से डी अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। फर्द सहमति प्रदर्श पी 8 पर ए से बी ईबारत उसकी कलमी है। पुलिस बयान प्रदर्श पी 9 का ए से बी भाग गवाह ने पुलिस को नहीं देना बताया है। गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि दिनांक 17.10.2009 को उसके व नरेन्द्र के रूबरू पुलिस ने मालाराम के मकान की तलाशी लेकर डोडा पोस्त व शराब की बरामदगी की हो। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने यह बताया है कि मोहनसिंह पुलिस कॉनिस्टेबल का मकान उसके देखा हुआ है। नक्शा मौका प्रदर्श डी 1 का हिस्सा 1, 2, 3, 4 के भीतर बना हुआ मकान व पीछवाड़े में बना हुआ मकान उसके देखा हुआ है। ए स्थान के कच्चे मकान में मोहनसिंह खुद रहता था व आगे दो कच्चे व बरामदा व टांका जो गली में खुलता है जो किसी किरायेदार को किराये पर दिया हुआ था।

12. गवाह पी–डब्ल्यू 05 सवाईसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह दिनांक 17.10.2009 को एएसआई के पद पर पीएस बायतु में कार्यरत था। उस रोज तत्कालीन थानाधिकारी को मिली सूचना अनुसार वक्त 11.00 एएम पर थानाधिकारी हरजीराम के साथ वह, कॉनिस्टेबल गणेशाराम, अन्य जाब्ता में खेराजराम, प्रहलादराम, केसराराम, श्रवणराम

के मय मामूरा मौतबीरान नरेन्द्रकुमार व जेठाराम के जरिये सरकारी वाहन व अन्वेषण बॉक्स मय कांटा–बाट के थाने से रवाना होकर वक्त 11:05 ए.एम. पर कस्बा बायतु में मालाराम पुत्र अचलाराम, निवासी झूण्ड पुलिस थाना गिड़ा के किराये के रहवासी मकान पर पहुंच दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक पेन्ट शर्ट पहना हुआ व्यक्ति बाहर आया, जिसको थानाधिकारी हरजीराम ने मुखबीर सूचना से अवगत करवा कर रूबरू मौतबीरान नाम–पता पूछा तो उसने अपना नाम मालाराम पुत्र अचलाराम होना बताया, जिसको मकान के बारे में पूछा तो मकान मोहनसिंह पुत्र रूपाराम, निवासी बायतु चिमनजी का होना बताया तथा पिछले तीन साल से किराये पर लेना बताया। मालाराम को मुखबीर सूचना से अवगत करवा कर थानाधिकारी मय हमराह जाब्ता ने रूबरू मौतबीरान के जामा तलाशी लिरवा कर मकान में प्रवेश कर मकान के पिछवाड़े बने कमरे का ताला खुलवा कर खाना तलाशी लेनी शुरू की तो कमरे में डोडा पोस्त, अंग्रेजी शराब, हथकड़ी शराब, अफीम व अफीम का दूध पाया गया। उक्त प्रतिबंधित सामग्री को मालाराम द्वारा अपने कब्जे में रखने बाबत् परमिट व लाईसेंस का पूछा तो अपने पास कोई परमिट व लाईसेंस नहीं होना बताया, जिस पर मालाराम का कृत्य धारा 8/15, 17, 18 एनडीपीएस एक्ट व 14, 16, 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से सफेद कट्टे में मिले डोडा पोस्त को कट्टे में से खाली कर तौल किया गया तो कुल तौल 11 किलो 800 ग्राम होना पाया गया, जिनमें से 500–500 ग्राम डोडा पोस्त पृथक–पृथक थैलियों में रासायनिक परीक्षण व कन्ट्रोल सेम्पल हेतु अलग किए, जिन पर मार्क क्रमशः ए व बी तथा शेष डोडा पोस्त को उसी कट्टे में डाल कर सीलचेपा कर मार्क सी अंकित किया। ताबाद विभिन्न ब्राण्ड के चण्डीगढ़/हरीयाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की बोतलों व पव्वों से भरे कुल 9 कार्टूनों पर मार्क क्रमशः डी से एल अंकित किया। एफ सफेद कट्टे में विभिन्न ब्राण्ड की हरियाणा/चण्डीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब से भरी हुई कुल 10 बोतलें व 23 पव्वे मिले, जिनमें से बैग पाईपर व ड्राईजीन ब्राण्ड की बोतलें व मेक्डोव्ल रम का पव्वा रासायनिक परीक्षण हेतु अलग कर सीलचेपा कर मार्क क्रमशः एम, एन, ओ अंकित किया तथा शेष शराब की बोतलों व पव्वों को उसी सफेद कट्टे में डालकर सीलचेपा कर मार्क पी

अंकित किया। एक आसमानी रंग के जरीकन में हथकड़ी शराब पाई जाने पर हथकड़ी शराब को मटकी में खाली कर 750 एम.एल. की बोतल से माप किया गया तो कुल 26 बोतल हथकड़ी शराब पाई गई, जिसमें से एक पव्वा वास्ते रासायनिक परीक्षण हेतु अलग कर सीलचेपा कर मार्क क्यू अंकित किया व शेष हथकड़ी शराब को उसी जरीकन में डाल कर सीलचेपा कर मार्क आर अंकित किया। एक सफेद मेणिये की थैली में 850 ग्राम निर्मित अफीम पाया जाने पर उसमें से 30–30 ग्राम अलग कर रासायनिक परीक्षण व कन्ट्रोल सेम्पल हेतु अलग कर सीलचेपा कर मार्क क्रमशः एस व टी व शेष माल को उसी मोणिये की थैली में डाल कर सीलचेपा कर मार्क यू अंकित किया। एक अन्य मेणिये की थैली में 180 ग्राम अफीम का दूध पाया जाने पर उसमें से 30–30 ग्राम रासायनिक परीक्षण व कन्ट्रोल सेम्पल हेतु अलग कर सीलचेपा कर मार्क वी व डब्ल्यू अंकित किया व शेष अफीम के दूध को उसी मेणिये की थैली में डालकर सीलचेपा कर मार्क एक्स अंकित किया। खाना तलाशी के दौरान उसी कमरे में एक कांटी जो अफीम तौलने के काम आती है व एक तौले का बाट तथा एक तराजू व 1 किग्रा व 500 ग्राम के बाट मिले, जिनको वास्ते वजह सबूत जब्त कर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर मार्क वाई अंकित किया। तत्पश्चात् मालाराम द्वारा उसी घर में किराये पर लिये अन्य कमरे की खाना तलाशी ली गई तो मालाराम के डबल बेड से सिराने 1000–500–100–50–20–10–5 नोट व 1, 2, व 5 के सिक्कों सहित कुल 84,985/– रुपए पाए गए, जो मालाराम द्वारा अवैध डोडा पोस्त, अंग्रेजी शराब, हथकड़ी शराब, अफीम व अफीम का दूध की बिक्री से प्राप्त करना बताने पर वास्ते वजह सबूत जब्त कर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचेमा कर मार्क जेड अंकित किया। बाद दोनों कमरों की खाना तलाशी के ताले बंद कर चाबियां मालाराम को सुपुर्द की। तत्पश्चात् बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी मुर्तिब किया, अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाकर नियमानुसार बाद जामा तलाशी गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के थानाधिकारी मय हमराह जाब्ता मय जब्तसुदा पैकेट्स मार्क ए से जेड, मय अभियुक्त मय अन्वेषण बॉक्स, जरिये सरकारी वाहन मौके से रवाना होकर थाना पहुंचे, जहां एसएचओ ने इस संबंध में प्रकरण संख्या 158

दिनांक 17.10.2009 अंतर्गत धारा 08/15, 17, 18 एनडीपीएस एक्ट व 14, 16 व 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया। जब्तशुदा माल को जमा मालखाना करवाया व अभियुक्त को बंद हवालात करवाया। बाद अनुसंधान पत्रावली थाना इंचार्ज को प्राप्त होने पर मुलजिम मालाराम के विरुद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में उसके द्वारा पेश किया गया। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी 1 में दर्शाये गए नक्शे में एक्स–वाई–जेड–डब्ल्यू हिस्से में पक्का मकान बना हुआ था। पक्का मकान किराये पर लिया हुआ था। मकान मालिक का नाम मोहनसिंह पुत्र रूपाराम था। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि मकान मालिक मोहनसिंह पुलिस में कार्यरत था। मकान की भाड़ा चिट्ठी जो पत्रावली पर उपलब्ध है, उसमें मकान किराये पर देने का अवश्य लिखा हुआ है, मकान के पिछवाड़े में बने हुए ओरों का कोई हवाला नहीं दिया हुआ है। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी 1 में दर्शाये गए 'ए' स्थान वाले ओरे में से अफीम, डोडे व शराब बरामद हुई थी। 'ई' स्थान वाला गेट नक्शा मौका में ओरे वाले भाग में जाने का दरवाजा है। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पैसों के साथ में किसी तरह का कोई दस्तावेज शराब, अफीम या डोडे बेचने के संबंध में बरामद नहीं हुआ था। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि पिछवाड़े में बने ओरों में से मार्क 'ए' ओरे के अलावा किसी भी कमरे में मालाराम की कोई चीज बरामद नहीं हुई थी। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 3, फर्द खाना तलाशी प्रदर्श पी 4, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 5, फर्द कारण सूचना गिरफ्तारी प्रदर्श पी 6 व फर्द नक्शा मौका प्रदर्श डी 1 व फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श डी 2 में से किसी भी फर्द पर थानेदार साहब के अलावा किसी पुलिस कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। बरामदगी के दौरान आस–पड़ोस से कोई नहीं आया था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पड़ोस में गैर आबाद मकान थे।

13. गवाह पी–डब्ल्यू 06 हरजीराम ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि दिनांक 17.10.2009 को वह थानाधिकारी पीएस बायतु के पद पर पदस्थापित था। उस रोज वक्त 10.15 ए.एम. पर जरिये टेलीफोन

मुखबिर खास से उसे सूचना मिली थी कि मालाराम ने मोहनसिंह से बायतु चिमनजी में मकान किराये पर लिया हुआ है। मालाराम इस मकान में अवैध शराब, डोडा पोस्त लाता, रखता व बेचता है, वगैरह इत्तला विश्वसनीय होने पर उसने इत्तला जैसी मिली वैसी लिखते हुए बिना वारंट खाना तलाशी के कारणों की फर्द अंतर्गत धारा 42 एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 47 आबकारी अधिनियम के तहत मुर्तिब की थी जो फर्द प्रदर्श पी 10 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इस सूचना की एक कार्बन प्रति कॉनिस्टेबल सायरगिरी के साथ जिला पुलिस अधीक्षक एवं वृताधिकारी बाडमेर को प्रेषित की थी। एसपी साहब बाड़मेर को प्रेषित कार्बन प्रति प्रदर्श पी 11 है, जिस पर ए से बी तत्कालीन एसपी बाड़मेर के प्राप्ति के हस्ताक्षर मय तारीख, समय एवं मोहर है व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। सीओ बाड़मेर को प्रेषित कार्बन प्रति प्रदर्श पी 12 है, जिस पर ए से बी तत्कालीन सीओ बाड़मेर के प्राप्ति के हस्ताक्षर मय तारीख है व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुखबिर की इत्तला की रपट थाना के रोजनामचा में दर्ज की थी जो मूल रपट संख्या 582 प्रदर्श पी 13 है, जिसकी प्रमाणित फोटोप्रति प्रदर्श पी 13ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी उसके प्रमाणित करने के हस्ताक्षर है। कॉनिस्टेबल सायरगिरी को सूचना की कार्बन प्रति देकर रवाना करने की रपट संख्या 583 मूल प्रदर्श पी 14 है, जिसकी प्रमाणित फोटोप्रति प्रदर्श पी 14ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी उसके प्रमाणित करने के हस्ताक्षर है। कॉनिस्टेबल प्रहलादराम को तहरीर प्रदर्श पी 1 देकर स्वतंत्र मोतबीरान की तलबी हेतु भेजा था, जिसकी रोजनामचा रपट संख्या 584 मूल प्रदर्श पी 15 है, जिसकी प्रमाणित फोटोप्रति प्रदर्श पी 15ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी उसके प्रमाणित करने के हस्ताक्षर है। तहरीर प्रदर्श पी 1 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, ई से एफ प्रहलादराम का मोतबीर पेश करने का पृष्ठांकन है व जी से एच प्रहलादराम के हस्ताक्षर है। मोतबीर नरेन्द्र कुमार के मोतबीर बनने की सहमति तहरीर प्रदर्श पी 2 उसने दी थी, जिस पर ए से बी नरेन्द्रकुमार के, सी से डी नरेन्द्रकुमार का जवाब व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। मोतबीर जेठाराम को उसकी सहमति हेतु तहरीर प्रदर्श पी 8 उसने दी थी, जिस पर ए से बी जेठाराम

का जवाब, सी से डी जेठाराम के हस्ताक्षर व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। मोतबीरान की सहमति लेने के पश्चात् वह, सवाईसिंह, कॉनिस्टेबल खेराजराम, गणेशाराम, प्रहलादराम, केसराराम व चालक श्रवणराम व सरकारी मैक्स जीप के एवं अनुसंधान बॉक्स, तराजू–बाट के इत्तला अनुसार थाने से रवाना हुआ था, जिसकी मूल रोजनामचा रपट संख्या 586 प्रदर्श पी 16 है, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी 16ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। थाना से उपरोक्तानुसार मय मोतबिरान के 11:00 ए.एम. पर रवाना होकर बायतु चिमनजी में स्थित मालाराम के किराये के मकान पर एएसआई की निशादेही पर 11:05 ए.एम. पर पहुंचे थे। मुख्य दरवाजे पर खटखटाने पर एक व्यक्ति पेंट–शर्ट पहने बाहर आया, जिसको नाम–पूछा तो उसने अपना नाम मालाराम होना बताया। मकान के बारे में पूछा तो गत तीन साल से किराये पर लेना व अपने कब्जे में होना बताया, जिस पर मालाराम को मुखबिर की इत्तला से अवगत करवाकर रूबरू मोतबीरान मन एसएचओ एवं हमराह स्टाफ ने अपनी जामा तलाशी सर्वप्रथम मालाराम को देकर मालाराम के किराये के मकान में प्रवेश हुए तो मकान के पिछवाड़े बने पुराने पक्के कमरे के लगे लकड़ी के किवाड़ के लगे ताले को मालाराम के पास मौजूद उसकी चाबी से खुलवाया गया तो उस कमरे के अंदर कांटे–बाट, ताकड़ी, पोस्त डोडो से भरा एक कट्टा, अफीम की बट्टियां, दूध और विभिन्न प्रकार का अंग्रेजी शराब देशी हथकड़ी शराब का जरिकन इत्यादि पाया गया। उक्त मादक पदार्थ अपने कब्जे में रखने बाबत लाईसेंस व परमिट का मालाराम को पूछा तो मालाराम ने ऐसे किसी लाईसेंस परमिट से इनकार किया। बिना परमिट लाईसेंस अवैध रूप से उक्त मादक पदार्थ अपने कब्जे में रखना अपराध धारा 8/15, 17, 18 एनडीपीएस एक्ट व 14, 16, 19/54 एक्साइज एक्ट में दंडनीय होने से कमरे में मिले मादक पदार्थ का माप–तौल व गिनती की गई तो निम्न प्रकार पाए गए – एक कट्टे में 11 किग्रा 800 ग्राम पोस्त डोडे मिले, जिसमें से 500–500 ग्राम के नमूना व कंट्रोल सैंपल लेकर सील बंद किया। नमूना सेंपल पर मार्क ए, कंट्रोल सेंपल पर बी व वजह सबूत माल पर मार्क सी अंकित किया। अंग्रेजी शराब ऑफिसर चोईस का एक कार्टून बोतलों से भरा हुआ मिला, जिसको सीलबंद कर मार्क डी अंकित किया। सिल्वर पैग विस्की की

बोतलों के दो कार्टून मिले, जिसको सीलचेपा कर मार्क ई व एफ अंकित किया। बैग पाईपर बोतलों के तीन कार्टून मिले, जिनको सीलबंद कर मार्क जी, एच व आई अंकित किया। बैग पाईपर पव्वों के दो कार्टून मिले, जिन्हें सीलबंद कर मार्क जे व के अंकित किया। सिल्वर पैक पव्वों का एक कार्टून मिला, जिसको सीलबंद कर मार्क एल अंकित किया। एक सफेद कट्टे में बैग पाईपर की 6 बोतलें, ड्राईजीन की 2 बोतलें, मैक्डोवल की 1 बोतले, पार्टी स्पेशल की 1 बोतल, मैक्डोवल रम का 1 पव्वा, ड्राईजीन के 19 पव्वे, ऑफिसर चोईस के 3 पव्वे मिले, जिनमें से बैगपाईपर की 1 बोतल, ड्राईजीन की 1 बोतल व मैक्डोवल रम का 1 पव्वा नमूना सेंपल हेतु अलग–अलग सीलबंद कर मार्क एम, एन व ओ अंकित किया। शेष शराब को उसी कट्टे में सीलचेपा कर मार्क पी अंकित किया। एक हरे नीले रंग के जरीकन में हथकड़ी शराब की एक खाली 750 एम.एल. की बोतल भरकर माप किया तो हथकड़ी शराब 26 बोतल पाई गई, जिसमें से एक पव्वा शराब से भरकर वास्ते नमूना सेंपल सीलबंद कर मार्क क्यू अंकित किया। शेष हथकड़ी शराब जो माप करने के लिये एक खाली मटके में डाली गई थी को पुनः जरीकन में डालकर सीलचेपा कर मार्क आर अंकित किया। एक मेणिये की थैली में अफीम की बटियां मिली, जिनका तौल किया तो 850 ग्राम हुआ, जिसमें से 30–30 ग्राम अफीम की बटियां वास्ते नमूना व कंट्रोल सेंपल अलग–अलग लेकर प्लास्टिक की थैली में डालकर थैली को प्लास्टिक की डिब्बियों में बंद कर मार्क एस व टी अंकित कर सीलबंद किया। शेष अफीम 790 ग्राम को एक सफेद कपड़े की थैली में सीलबंद कर मार्क यू अंकित किया। एक मेणिये की थैली में गाढ़ा भूरा–काला तरल पदार्थ मिला जो सूंघा, परखा तो अफीम दूध होना पाया जो वजन में 180 ग्राम होना पाया, जिसमें से 30–30 ग्राम अफीम का दूध वास्ते नमूना व कंट्रोल सेंपल अलग–अलग लेकर प्लास्टिक की थैली में डालकर थैली को प्लास्टिक की डिब्बियों में बंद कर मार्क वी व डब्ल्यू अंकित कर सीलबंद किया। शेष 120 ग्राम अफीम का दूध उसी मेणिये की थैली में रहने दिया जाकर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलबंद कर मार्क एक्स अंकित किया। एक पीतल की छोटी ताकड़ी एवं एक पुराना सिक्का एक तौला वजनी तथा पोस्त डोडा तौलने का तराजू नैलको कंपनी का, एक कि.ग्रा.

का एक व 500 ग्राम का एक बाट भी मौके पर मिले, जिनको भी एक सफेद कट्टे में डालकर सीलचेपा कर मार्क वाई अंकित किया। उक्त कमरे के बाहर मालाराम के बैठक के कमरे की तलाशी ली गई तो डबल बैड के सिरहाने 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5 के नोट व रैजकी कुल 84,985/– रुपए मिले जो उक्त मादक पदार्थ की बिक्री से संबधित होने का संदेह होने पर कब्जा पुलिस लेकर सील बंद कर मार्क जेड अंकित किया। अंग्रेजी शराब सेल इन हरियाणा एंड चंडीगढ़ मार्का का था। मकान के शेष कमरे मकान मालिक के कब्जे में होना बताया था। मकान जिसकी उन्होंने तलाशी ली, उसके दोनों कमरों के ताला लगाकर चाबी वापिस मालाराम को सुपुर्द की थी। फर्द खाना तलाशी व बरामदगी प्रदर्श पी 4 उसने मौके पर बनाई थी, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी व सी से डी मोतबीरान के, ई से एफ अभियुक्त मालाराम के, जी से एच उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। जब्ती फॉर्म मौके पर तैयार किया था जो प्रदर्श पी 3 है, जिस पर ए से बी व सी से डी मोतबीरान के, ई से एफ अभियुक्त मालाराम के, जी से एच उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। बरामदगी की कार्यवाही में पुलिस स्टेशन बायतु बीएमआर अंग्रेजी ईबारत की गोल पीतल की नमूना सील काम में ली गई थी, जिसकी फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 5 है, जिस पर ए से बी व सी से डी मोतबीरान के, ई से एफ अभियुक्त मालाराम के, जी से एच उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नौ जगह नमूना सील अंकित है। अभियुक्त मालाराम को गिरफ्तार करने से पूर्व अपराध एवं उसकी गिरफ्तारी के कारणों की सूचना जरिये फर्द प्रदर्श पी 6 के अभियुक्त मालाराम को दी थी, जिस पर ए से बी व सी से डी मोतबीरान के, ई से एफ अभियुक्त मालाराम के, जी से एच उसके हस्ताक्षर है व आई से जे मालाराम का जवाब है। खाना तलाशी व बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी 1 मौके पर तैयार किया था, जिस पर ए से बी व सी से डी मोतबीरान के, ई से एफ अभियुक्त मालाराम के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त मालाराम को जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 2 के गिरफ्तार किया था। प्रदर्श पी 2 पर ए से बी व सी से डी मोतबीरान के, ई से एफ अभियुक्त मालाराम के, जी से एच उसके हस्ताक्षर है व जामा तलाशी में मिले माल की ईबारत आई से जे

है। थाना वापसी व कायमी मुकदमा की रपट रोजनामचा आम में दर्ज की थी जो रपट संख्या 589 मूल प्रदर्श पी 17 है, जिसकी प्रमाणित फोटोप्रति प्रदर्श पी 17ए है, जिस पर ए से बी उसके प्रमाणित करने के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 17 मूल पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। एफआईआर पर्चा चाक की थी प्रदर्श पी 18 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुकदमा दर्ज करने के पश्चात् दौराने अनुसंधान गवाहान केसराराम, गणेशाराम, खेराजराम, श्रवणराम, सवाईसिंह, प्रहलादराम व हरीराम के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किए थे। तत्पश्चात् अग्रिम अनुसंधान थानाधिकारी गिड़ा द्वारा किया गया। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 19 है। धारा 57 की तथ्यात्मक रिपोर्ट एसपी साहब व सीओ साहब बाड़मेर को प्रेषित की थी। एसपी साहब को भेजी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रदर्श पी 20 है, जिस पर ए से बी तत्कालीन एसपी साहब के रिपोर्ट प्राप्ति के हस्ताक्षर मय मोहर, तारीख व समय के है, सी से डी एसपी कार्यालय के इंवर्ड नंबर अंकित है, ई से एफ प्रत्येक पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर है। इसी प्रकार सीओ बाड़मेर को भेजी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रदर्श पी 21 है, जिस पर ए से बी तत्कालीन सीओ बाडमेर के रिपोर्ट प्राप्ति के हस्ताक्षर तारीख है, सी से डी इंवर्ड नंबर व तारीख अंकित है तथा प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। कॉनिस्टेबल सायरगिरी की धारा 57 की इत्तला देने हेतु थाना से रवानगी की रपट मूल प्रदर्श पी 22 है, जिसकी प्रमाणित फोटोप्रति प्रदर्श पी 22ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर तथा सी से डी प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर है। सायरगिरी की वापसी रपट धारा 57 की इत्तला देकर आने की असल प्रदर्श पी 23 है, जिसकी प्रमाणित फोटोप्रति प्रदर्श पी 23ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सायरगिरी की मुखबिर की इत्तला धारा 42 एनडीपीएस एक्ट की कार्बन प्रति एसपी साहब व सीओ बाड़मेर को देकर आने की वापसी रपट संख्या 590 मूल प्रदर्श पी 24 है, जिसकी प्रमाणित फोटोप्रति प्रदर्श पी 24ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नमूना सेंपल एफएसएल भेजने व जमा कराने की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 25 व 26 है। अफीम व पोस्त डोडा के नमूना सेंपल एफएसएल भेजने का रोड़ प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति प्रदर्श पी 27 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। शराब के नमूना सेंपल एफएसएल भेजने की रोड की

प्रमाणित फोटो प्रति प्रदर्श पी 28 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मालाराम द्वारा मोहनसिंह से लिये मकान की किरायानामा चिट्ठी प्रदर्श पी 29 है, जिस पर ए से बी सवाईसिंह एएसआई के प्रमाणित करने के हस्ताक्षर है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित फोटोप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त प्रकरण से संबधित जमा माल जो मद संख्या 146/09 पर किया गया जो मूल प्रदर्श पी 30 है, जिसकी प्रमाणित फोटोप्रति प्रदर्श पी 30ए है। शराब के नमूना सेंपल एफएसएल भेजने का थाना का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 31 है व अफीम व डोडा पोस्त के सेंपल एफएसएल जांच में भेजने का थाना का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 32 है, जिन पर ए से बी थाना प्रभारी सवाईसिंह के हस्ताक्षर हैं। शराब परीक्षण की एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 33 है। एसपी कार्यालय के अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 34 व 35 है, जिन पर ए से बी तत्कालीन एसपी बाड़मेर के हस्ताक्षर हैं। कॉनिस्टेबल गेमरसिंह व लक्ष्मणसिंह की एफएसएल जांच हेतु नमूना पैकेट्स थाना से ले जाने की रवानगी की रपट संख्या 694 व 695 क्रमशः प्रदर्श पी 36 व 37 है, जिनकी फोटोप्रतियां क्रमशः प्रदर्श पी 36ए व 37ए है। बाद अनुसंधान एवं सत्यापन के पत्रावली अन्वेषण अधिकारी जगदीशराम नि.पु. ने एसपी साहब के मार्फत अभियुक्त मालाराम के विरुद्ध जुर्म धारा 8/15, 17, 18 एनडीपीएस एक्ट तथा धारा 14, 16, 19/54 आबकारी अधिनियम प्रमाणित मान पत्रावली पीएस बायतु भेजी थी, जिस पर तत्कालीन थाना प्रभारी सवाईसिंह एएसआई ने उपरोक्त अपराध धाराओं में अभियुक्त मालाराम के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया था। पुलिस थाना बायतु से मालखाना आईटम कॉनिस्टेबल लिखमाराम लेकर आया जो एक सफेद प्लास्टिक के कट्टे में बंद थे जो कट्टा खोलकर पैकेट्स बाहर निकाले गए। सनी पैकेट्स सीलबंद हालात में पाये गये व उन पर कार्यवाही के चेपे लगे हुए है। नमूना सेंपल मार्क एस बाद एफएसएल परीक्षण आर्टिकल 1 है, जिस पर लगे चेपे पर ए से बी व सी से डी मोतबीरान के, ई से एफ अभियुक्त मालाराम के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। अफीम दूध का नमूना सेंपल बाद एफएसएल परीक्षण मार्क वी आर्टिकल 2 है, जिस पर लगे चेपे पर ए से बी व सी से डी मोतबीरान के, ई से एफ अभियुक्त मालाराम के व जी से एच उसके

हस्ताक्षर हैं तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। अफीम दूध का कंट्रोल सेंपल मार्क डब्ल्यू आर्टिकल 3 है, जिस पर लगे चेपे पर ए से बी व सी से डी मोतबीरान के, ई से एफ अभियुक्त मालाराम के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है, चेपा पुराना होने से कुछ जगह से फटा हुआ है। अफीम का कंट्रोल सेंपल मार्क टी है जो आर्टिकल 4 है, जिस पर उसके व नरेन्द्र के हस्ताक्षर दिखाई दे रहे हैं, शेष हस्ताक्षर वाला भाग फटा हुआ है। वजह सबूत माल अफीम की बटियां आर्टिकल 5 है, जो बाद इन्वेन्ट्री शुदा है, जिस पर वक्त जब्ती का चेपा लगा हुआ नहीं है। वजह सबूत माल अफीम का दूध बाद इन्वेन्ट्री शुदा आर्टिकल 6 है, जिस पर लगा चेपा फटा हुआ है, कुछ जगह चेपा चिपका हुआ दिखाई दे रहा है। डोडा पोस्त का कंट्रोल सेंपल मार्क बी आर्टिकल 7 है जो उसके द्वारा सीलशुदा है, जिस पर ए से बी व सी से डी मोतबीरान के, ई से एफ अभियुक्त मालाराम के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। बाद एफएसएल परीक्षण पोस्त डोडा का नमूना सेंपल मार्क ए आर्टिकल 8 है, जिस पर ए से बी व सी से डी मोतबीरान के, ई से एफ अभियुक्त मालाराम के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। तराजू, ताकड़ी, तौला बाट सीलशुदा पैकेट मार्क वाई आर्टिकल 9 है, जिस पर लगा चेपा पुराना होने से फटा हुआ है। वजह सबूत डोडा पोस्त व शराब का न्यायालय के आदेश से निस्तारण हो चुका है। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने बताया कि मालाराम ने मोहनसिंह से मकान भाड़े पर लिया था, उसके चारों तरफ चारदीवारी थी, जिसके अंदर प्रदर्श डी 1 में दर्शाये गए मार्क बी व ए स्थान वाला कमरा मालाराम के किराये पर लिया हुआ था, उसके ताले की चाबियां मालाराम के पास थी, जिनसे वक्त कार्यवाही मालाराम ने कमरे खोले थे, शेष कमरों बाबत मालाराम को पूछा तो उसने बताया कि ये कमरे उसके किराये पर नहीं लिये हुए हैं, इनकी चाबियां मकान मालिक के पास हैं। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि बरामदगी स्थल के आस–पास से मौतबीर नहीं बुलाए, अजखुद कहा कि मौतबीर थाना से हमराह लेकर साथ गए थे। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है

कि प्रदर्श डी 1 में दर्शाये गए नक्शे में मार्क ओरड़ा बरामदगी स्थल में मालाराम की पहचान का कोई भी बरतन, बिस्तर, कपड़े, पहचान–पत्र इत्यादि नहीं मिले, अजखुद कहा कि मार्क 'ए' स्थान वाले ओरे की चाबी मालाराम के पास थी और मालाराम ने ही ताला खोला था। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि भाड़ा चिट्ठी प्रदर्शपी 29 में मकान के कौन–कौन से कमरे किराये पर लिए हुए हैं, इसका उल्लेख नहीं है।

14. गवाह पी–डब्ल्यू 07 किशनाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह मोहनसिंह पुत्र रूपाराम, निवासी बायतु चिमनजी को जानता है, जिसका एक मकान बायतु चिमनजी में ग्राम पंचायत के पास आया हुआ है, जिसके पास उसका मकान आया हुआ है। इसके अलावा मोहनसिंह का एक कच्चा व पक्का मकान भी बना हुआ है। पक्का मकान मालाराम को भाड़े पर दिया हुआ था। मालाराम को जो मकान किराये पर दिया हुआ था। उसके पास बने कच्चे मकान में मोहनसिंह का आना–जाना रहता था। मोहनसिंह का बायतु चिमनजी में एक ही मकान बना हुआ है। मोहनसिंह का रहवास ढाणी में था। मोहनसिंह का जो पक्का मकान था, उसमें मालाराम पुत्र अचलाराम किराये पर रहता था। मोहनसिंह का पक्का मकान उसके मकान के पास ही बना हुआ है। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने बताया कि प्रदर्श डी 1 में दर्शाये गए नक्शे में हिस्सा डब्ल्यू–एक्स–वाई–जेड वाला पक्का मकान मालाराम को किराये पर दिया हुआ था, जिसमें वह रहता था। उस मकान के पीछे तीन ओरे बने हुए हैं, जिसका रास्ता अलग है, जिसमें मोहनसिंह आता–जाता था।

15. गवाह पी–डब्ल्यू 08 विरधाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह मूल निवासी बायतु का है, बालोतरा में उसका कपड़े का व्यवसाय है। मोहनसिंह पुत्र रूपाराम को वह जानता है, जो उसका पड़ोसी है। मोहनसिंह का बायतु में मार्केट में सोसायटी के पास मकान है जो 500/– रुपए प्रतिमाह पर मालाराम पुत्र अचलाराम को किराये पर दिया था। उसकी भाड़ा–चिटठी लिखाई गई थी, जिसमें उसने साख डाली थी। दूसरी साख किसकी थी, उसे याद नहीं। मोहनसिंह उनके पास ढाणी में रहता है। प्रदर्श पी 29 पर सी से डी पर उसके हस्ताक्षर है

तथा ई से एफ उसकी साख की ईबारत है। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मोहनसिंह पुलिस में नौकरी करता है। प्रदर्श पी 29 की लिखापढ़ी बालोतरा में करवायी थी। मुकदमा होने के कितने समय बाद लिखापढ़ी करवायी थी, उसे ध्यान नहीं। लिखापढ़ी करवायी, तब यह कहीं नहीं बताया कि मोहनसिंह के मकान का कौनसा परिसर किराये पर दे रहे हैं, क्योंकि वे बालोतरा में थे। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मकान के पिछले भाग में गोबर के ओरे बने हुए थे। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि नक्शा मौका प्रदर्श डी 1 में 'जी' मार्क रास्ते होते हुए 'ई' मार्ग से आंगन में प्रवेश कर आगे एच–आई–एक्स–जेड परिसर में दो कच्चे कमरे, एक रसोई, आगे कच्चा आंगन ई–प्रवेश द्वार होकर जाने का रास्ता था।

16. गवाह पी–डब्ल्यू 09 मोहनसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसका एक मकान बायतु स्टेशन पर ग्राम पंचायत घर के पास बायतु चिमनजी सरहद में आया हुआ है जो मकान वर्ष 2009 में मालाराम पुत्र अचलाराम को 500/– रुपए प्रतिमाह किराये पर दे रखा था। उसका परिवार बायतु चिमनजी गांव में अपनी ढाणी में रहता था। उसका मकान मालाराम को किराये पर देने के बाद वह व उसके परिवार का कोई सदस्य उस मकान में नहीं जाते थे। मालाराम किराया उसे कभी दुकान पर और कभी ढाणी पहुंचाने आ जाता था। मालाराम को मकान किराये पर देने की भाड़ा–चिटठी लिखाई थी जो प्रदर्श पी 29 है, जिस पर उसने, मालाराम ने तथा विरधाराम व नरेश ने साख डाली थी और नोटेरी बालोतरा से करवाई थी। भाड़ा–चिटठी की फोटोप्रति पुलिस को उसने दी थी जो प्रदर्श पी 29 है, जिस पर ई से एफ उसके, जी से एच मालाराम के, सी से डी विरधाराम के, आई से जे नरेश की साख के हस्ताक्षर है। मालाराम द्वारा उसके मकान में अवैध शराब, डोडा, अफीम आदि रखने की इस मुकदमे से पूर्व उसे कोई जानकारी नहीं थी। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वर्ष 2009 में वह पुलिस में नौकरी करता था। उसने भाड़ा–चिट्ठी पर उसका मकान किराये पर दिया था। गवाह ने इस

सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने ओरे किराये पर नहीं दिए हो। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मकान के पीछे बने हुए ओरे, रसोई, आंगन का भाड़ा चिट्ठी में अलग से कहीं हवाला नहीं दिया हुआ है। गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि नक्शा मौका प्रदर्श डी 1 में दिखाया गया परिसर आई–एच–एक्स–जेड जो 'ई' गेट से दर्शाया हुआ है, उक्त कच्चा परिसर वह उसके स्वयं के उपयोग में लेता हो। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मालाराम स्टेशनरी की दुकान व अखबार वितरण का काम करता है। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि भाड़ा चिट्ठी प्रदर्श पी 29 उसने बालोतरा में स्टांप खरीदकर वहीं लिखवाकर नोटेरी करवायी थी।

17. गवाह पी–डब्ल्यू 10 सायरगिरि ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि दिनांक 17.10.2009 को वह पुलिस थाना बायतु में कॉनिस्टेबल के पद पर तैनात था। उस रोज थानाधिकारी हरजीराम ने मुखबीर इत्तला की प्रतियां लिफाफे में बंद करके एसपी साहब व सीओ साहब को देने हेतु रवाना किया था। उसने बाड़मेर पहुंचकर एसपी साहब व सीओ साहब के कार्यालय में मुखबीर इत्तला दी थी और वह करीब शाम को साढ़े छह बजे बायतु थाने आ गया था। दिनांक 18.10.2009 को मुकदमा नंबर 158/2009 अंतर्गत धारा 8/15, 17, 18 एनडीपीएस एक्ट की तथ्यात्मक रिर्पोट अंतर्गत धारा 57 एनडीपीएस एक्ट के दो लिफाफे एसपी साहब व सीओ साहब बाड़मेर को देने के लिए उसे रवाना किया था। उसने बाड़मेर पहुंच एसपी साहब व सीओ साहब के कार्यालय में लिफाफे सुपुर्द किए थे, तत्पश्चात् वह वापस थाने पहुंचा था। मुखबीर इत्तला प्रदर्श पी 11 व 12 है, जिन पर क्रमशः ए से बी एसपी साहब व सीओ साहब के प्राप्ति का पृष्ठांकन है। धारा 57 की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रदर्श पी 20 व 21 है, जिन पर ए से बी एसपी साहब व सीओ साहब के प्राप्ति का पृष्ठांकन है। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने बताया कि पुलिस बयान प्रदर्श डी 3 उसे तथ्यात्मक रिपोर्ट तथा मुखबिर इत्तला का जिक्र थानाधिकारी की बातचीत के अनुसार बताए थे। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है

कि दिनांक 17 व 18.10.2009 को थाने से रवानगी की रपट के संबंध में थाने के रोजनामचा रपट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

18. गवाह पी–डब्ल्यू 11 हरिराम ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि दिनांक 15.10.2009 को वह पीएस बायतु में मालखाना इंचार्ज के पद पर कार्यरत था। दिनांक 17.10.2009 को तत्कालीन थानाधिकारी हरजीराम के निर्देशानुसार सीलबंद पैकेट से ए से जेड सीलचेपा युक्त मालखाना में जमा किये थे, जिनमें से दिनांक 20.10.2009 को सैम्पल मार्क एम व एन, मार्क डी व मार्क क्यू, मार्क ए, मार्क एस व मार्क वी मालखाना से निकालकर उसने मार्क एन, ओ, क्यू कॉनिस्टेबल गेमरसिंह को जरिये रोड नंबर 146 दिनांक 20.10.2009 व मार्क ए, एस, वी कॉनिस्टेबल लक्ष्मणसिंह जरिये रोड नंबर 147 दिनांक 20.10.2009 को एफएसएल में जमा करवाने हेतु क्रमशः जोधपुर व जयपुर रवाना किए। दिनांक 23.10.2009 को कॉनिस्टेबल गेमरसिंह ने रसीद नंबर 2210/09, दिनांक 21.10.2009 मूल रोड़, एसपी ऑफिस का अग्रेषण पत्र की कार्बन कॉपी एवं लक्ष्मणसिंह ने रसीद क्रमांक 11623/09 दिनांक 21.10.2009 मूल रोड़, एसपी ऑफिस का अग्रेषण पत्र की कार्बन कॉपी उसे लाकर सुपुर्द की जो उसने थानाधिकारी को सुपुर्द किए। जब तक माल उसके पास रहा तब तक सीलबंद, सुरक्षित और सही सलामत रहा। मालखाना रजिस्टर असल प्रदर्श पी 30 है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 30ए है, जिसकी मद संख्या 146/09 पर ए से बी भाग में जमा माल का विवरण अंकित है तथा सी से डी भाग में एफएसएल में माल भेजने का विवरण अंकित है। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी 3 में उसके पास उक्त सैम्पल कितनी तारीख को जमा हुए, इसका कोई हवाला नहीं है। अजखुद कहा कि उक्त पैकेट में 17.10.2009 को जमा करने का हवाला है। एक ही प्रकरण में दो लैब का माल होने के कारण दो कॉनिस्टेबल के साथ अलग–अलग जगह भेजे थे।

19. गवाह पी–डब्ल्यू 12 नरेश कुमार अपने सशपथ बयानों में पक्षद्रोही रहा है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह मोहनसिंह पुत्र रूपाराम को जानता है, जिनका घर बायतु बाजार में आया हुआ है।

साक्ष्य दिवस से तेरह साल पहले मोहनसिंह ने एक भाड़ा चिट्ठी पर उसके हस्ताक्षर करवाए हो तो उसे याद नहीं है। विद्वान् विशिष्ट लोक अभियोजक के द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पुलिस में उसके बयान हुए थे। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 38 का हिस्सा ए से बी देने से इंकार किया है। प्रदर्श पी 29 भाड़ा चिट्ठी पर आई से एल उसके हस्ताक्षर है व के से एल ईबारत उसके हाथ की कलमी है। उसे याद नहीं है कि वह बालोतरा उसकी पेशी पर गया हुआ हो। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि वह मोहनसिंह को जानता है और वह उसके गांव का है। मालाराम की दुकान उसके गांव में ही है और वह उसको जानता है। गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि विरधाराम पुत्र हीराराम को वह जानता हो। उसे याद नहीं है कि प्रदर्श पी 29 पर उसने साख किस बाबत डाली थी। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने यह बताया है कि उसने मोहनसिंह का घर देखा हुआ है। नक्शा नजरी प्रदर्श डी 1 में एच आई एक्स जेड परिसर में मोहनसिंह का परिवार रहता था और डब्ल्यू एक्स वाई जेड हिस्से पर मालाराम रहता था। उसका मकान उनके पड़ोस में आया हुआ है।

20. गवाह पी–डब्ल्यू 13 लक्ष्मणसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह दिनांक 20.10.2009 को पुलिस थाना बायतु में कॉनिस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उस रोज मालखाना प्रभारी हरीराम ने प्रकरण संख्या 158/2009 में अंतर्गत धारा 8/15, 17, 18 एनडीपीएस एक्ट एवं 14, 16, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में जब्तशुदा सीलबंद पैकेट्स मार्क ए, एस, वी मालखाना प्रभारी हरीराम ने उसे एफएसएल में जमा करवाने हेतु सुपुर्द किए। उक्त पैकेट के साथ अग्रेषण पत्र जरिये रोड संख्या 147 मार्फत एसपी साहब के सुपुर्द किए। उसने थाने से रवाना होकर एसपी ऑफिस पहुंच उक्त पैकेट व कागजात एफएसएल शाखा में कार्यरत प्रेमाराम को सुपुर्द किए। प्रेमाराम ने एफएसएल जयपुर के नाम का एसपी साहब से तैयार करवाकर पुनः उसे उक्त पैकेट व कागजात सुपुर्द किए। उसने जयपुर एफएसएल पहुंच उक्त तीनों सीलबंद पैकेट्स एफएसएल जयपुर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त

की। प्राप्ति रसीद की एक प्रति एसपी ऑफिस में जमा करवाकर मूल थाने में जमा करवाई। उक्त तीनों पैकेट्स उसके पास रहे, तब तक सीलबंद व सही सुरक्षित हालात में रहे। एसपी साहब का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 35 है, जिस पर ए से बी तत्कालीन एसपी साहब के हस्ताक्षर है तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 32 है। रोड नंबर 147 का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 27 है तथा प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 25 है। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने बताया कि पैकेट पर कितनी–कितनी सीलें लगी थीं, उसको पता नहीं है।

21. गवाह पी–डब्ल्यू 14 गेमरसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि दिनांक 20.10.2009 को वह पीएस बायतु में कॉनिस्टेबल के पद पर तैनात था। उस रोज मालखाना प्रभारी हरीराम ने प्रकरण संख्या 158/2009 अंतर्गत धारा 8/15, 17, 18 एन.डी.पी.एस. एक्ट एवं धारा 14, 16, 19/54 आबकारी अधिनियम में जब्त माल में से मालखाने से सील चेपायुक्त पैकेट मार्क एम, एन, ओ, क्यू मय अग्रेषण पत्र जरिये रोड संख्या 146 के एफएसएल में जमा कराने हेतु उसे रवाना किया, जिस पर वह थाने से रवाना होकर एसपी ऑफिस बाड़मेर पहुंचा, जहां पर एफएसएल शाखा में कार्यरत पेमाराम को उक्त पैकेट एवं कागजात सुपुर्द किए। पेमाराम ने एसपी साहब से एफएसएल जोधपुर के नाम का अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर पुनः 4 पैकेट्स एवं कागजात सुपुर्द किए। उसने जोधपुर एफएसएल पहुंच उक्त पैकेट्स जमा करवाकर उक्त रसीद प्राप्त की, जिसकी एक प्रति एसपी ऑफिस बाड़मेर में जमा करवाकर प्राप्ति ली। थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 31 है। एसपी साहब का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 34 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। रोड नंबर 146 का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 28 है तथा प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 26 है। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 28 पर उसके द्वारा सेम्पल प्राप्त करने के कहीं हस्ताक्षर नहीं है और न ही प्रदर्श पी 26 पर हैं और न ही उसके मालखाना रजिस्टर में हस्ताक्षर है। उसे जो सेम्पल दिए थे,

उन पर क्या सील लगी थी और कितनी सील लगी थी, उसे याद नहीं है।

22. गवाह पी–डब्ल्यू 15 केसराराम ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह दिनांक 17.10.2009 को कॉनिस्टेबल के पद पर पीएस बायतु में कार्यरत था। उस रोज तत्कालीन थानाधिकारी हरजीराम को मिली सूचना अनुसार वक्त 11.00 एएम पर थानाधिकारी हरजीराम के साथ वह, कॉनिस्टेबल गणेशाराम, अन्य जाब्ता में खेराजराम, प्रहलादराम सवाईसिंह एएसआई, श्रवणराम के मय मामूरा मौतबीरान नरेन्द्रकुमार व जेठाराम के जरिये सरकारी वाहन व अन्वेषण बॉक्स मय कांटा–बाट के थाने से रवाना होकर वक्त 11.05 एएम पर कस्बा बायतु में मालाराम पुत्र अचलाराम, निवासी झूण्ड पुलिस थाना गिड़ा के किराये के रहवासी मकान पर पहुंच दरवाजा खटखटाया तो अन्दर से एक पेन्ट शर्ट पहना हुआ व्यक्ति बाहर आया, जिसको थानाधिकारी हरजीराम ने मुखबीर सूचना से अवगत करवा कर रूबरू मौतबीरान नाम–पता पूछा तो उसने अपना नाम मालाराम पुत्र अचलाराम होना बताया, जिसको मकान के बारे में पूछा तो मकान मोहनसिंह पुत्र रूपाराम, निवासी बायतु चिमनजी का होना बताया तथा पिछले तीन साल से किराये पर लेना बताया। मालाराम को मुखबीर सूचना से अवगत करवा कर थानाधिकारी मय हमराह जाब्ता ने रूबरू मौतबीरान के जामा तलाशी लिरवा कर मकान में प्रवेश कर मकान के पिछवाडे बने कमरे का ताला खुलवा कर खाना तलाशी लेनी शुरू की तो कमरे में डोडा पोस्त, अंग्रेजी शराब, हथकड़ी शराब, अफीम, व अफीम का दूध पाया गया। उक्त प्रतिबंधित सामग्री को मालाराम द्वारा अपने कब्जे में रखने बाबत परमिट व लाईसेंस का पूछा तो उसने अपने पास कोई परमिट व लाईसेंस नहीं होना बताया। जिस पर मालाराम का कृत्य धारा 8/15, 17, 18 एनडीपीएस एक्ट व 14, 16, 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से सफेद कट्टे में मिले डोडा पोस्त को कट्टे में से खाली कर तौल किया गया तो कुल तौल 11 किलो 800 ग्राम होना पाया गया, जिनमें से 500–500 ग्राम डोडा पोस्त पृथक–पृथक थैलियों में रसायनिक परीक्षण व कन्ट्रोल सेम्पल हेतु अलग किए, जिन पर मार्क क्रमशः ए व बी व शेष डोडा पोस्त को उसी कट्टे में

डाल कर सीलचेपा कर मार्क सी अंकित किया। ताबाद विभिन्न ब्राण्ड के चण्डीगढ़/हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की बोतलों व पव्वों से भरे कुल 9 कार्टूनों पर मार्क क्रमशः डी से एल अंकित किया। एफ सफेद कट्टे में विभिन्न ब्राण्ड की हरियाणा/चण्डीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब से भरी हुई कुल 10 बोतलें व 23 पव्वे मिले, जिनमें से बैग पाईपर व ड्राईजीन ब्राण्ड की बोतलें व मेक्डोव्ल रम का पव्वा रासायनिक परीक्षण हेतु अलग कर सीलचेपा कर मार्क क्रमशः एम, एन, ओ अंकित किया तथा शेष शराब की बोतलों व पव्वों को उसी सफेद कट्टे में डाल कर सीलचेपा कर मार्क पी अंकित किया। एक असमानी रंग के जरीकन में हथकड़ी शराब पाई जाने पर हथकड़ी शराब को मटकी में खाली कर 750 एम.एल. की बोतल से माप किया गया तो कुल 26 बोतल हथकड़ी शराब पाई गई, जिसमें से एक पव्वा वास्ते रासायनिक परीक्षण हेतु अलग कर सीलचेपा कर मार्क क्यू अंकित किया व शेष हथकड़ी शराब को उसी जरीकन में डाल कर सीलचेपा कर मार्क आर अंकित किया। एक सफेद मेणिये की थैली में 850 ग्राम निर्मित अफीम पाया जाने पर उसमें से 30–30 ग्राम अलग कर रासायनिक परीक्षण व कंट्रोल सेम्पल हेतु अगल कर सीलचेपा कर मार्क क्रमशः एस व टी तथा शेष माल को उसी मोणिये की थैली में डालकर सीलचेपा कर मार्क यू अंकित किया। एक अन्य मेणिये की थैली में 180 ग्राम अफीम का दूध पाया जाने पर उसमें से 30–30 ग्राम रासायनिक परीक्षण व कंट्रोल सेम्पल हेतु अलग कर सीलचेपा कर मार्क वी व डब्ल्यू अंकित किया व शेष अफीम के दूध को उसी मेणिये की थैली में डालकर सीलचेपा कर मार्क एक्स अंकित किया। खाना तलाशी के दौरान उसी कमरे में एक कांटी जो अफीम तौलने के काम आती है व एक तौले का बाट तथा एक तराजू तथा 1 किग्रा व 500 ग्राम के बाट मिले, जिनको वास्ते वजह सबूत जब्त कर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर मार्क वाई अंकित किया। तत्पश्चात् मालाराम द्वारा उसी घर में किराये पर लिये अन्य कमरे की खाना तलाशी ली गई तो मालाराम के डबल बेड के सिरहाने 1000–500–100–50–20–10–5 के नोट व 1, 2, व 5 के सिक्कों सहित कुल 84,985/– रुपए पाए गए, जो मालाराम द्वारा अवैध डोडा पोस्त, अंग्रेजी शराब, हथकड़ी शराब, अफीम व अफीम का दूध की बिक्री से प्राप्त करना बताने पर वास्ते वजह सबूत

जब्त कर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचेपा कर मार्क जेड अंकित किया। बाद दोनों कमरों की खाना तलाशी के ताले बंद कर चाबियां मालाराम को सुपुर्द की। तत्पश्चात् बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी मुर्तिब किया। अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवा कर नियमानुसार बाद जामा तलाशी गिरफ्तार किया गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही के थानाधिकारी मय हमराह जाब्ता मय जब्लशुदा पैकेट्स मार्क ए से जेड मय अभियुक्त मय अन्वेषण बॉक्स, जरिये सरकारी वाहन मौके से रवाना होकर थाना पहुंचे, जहां एसएचओ ने इस संबंध में प्रकरण संख्या 158 दिनांक 17.10.2009 अंतर्गत धारा 8/15, 17, 18 एनडीपीएस एक्ट व 14, 16 व 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया। जब्तशुदा माल को जमा मालखाना करवाया व अभियुक्त को बंद हवालात करवाया तथा माल को मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया। थानाधिकारी द्वारा आमद दर्ज कर मुलजिम मालाराम के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने बताया कि उसके उस दिन से पहले मालाराम का मकान देखा हुआ था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मकान मोहनसिंह हैड कॉनिस्टेबल का था। नक्शा मौका प्रदर्श डी 1 में डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड क्षेत्र का मकान पक्का मकान बना हुआ था। नक्शे मौके में दर्शित एच, आई, एक्स, जेड के मध्य कच्चे ओरे के दो कमरे, आगे आंगन, उसके आगे 'ई' मार्क स्थित दरवाजा जो गली में खुलता था और पक्के मकान का दरवाजा मार्क एक्स स्थान पर खुलता था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मालाराम के प्रदर्श डी 1 में दर्शित मार्क डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड वाला परिसर किराये पर ले रखा था, जिस पर मालाराम निवास करता था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि नजरी नक्शा प्रदर्श डी 1 में जो कमरा मार्क बी में सिर्फ पैसे ही बरामद हुए थे। उक्त पक्के परिसर में किसी तरह की अवैध वस्तु बरामद नहीं हुई थी। उसके वहां मौजूदगी के संबंध में प्रदर्श डी 1, 2 या अन्य मौके से संबंधित कार्यवाही या बरामदगी के संबंध में कार्यवाही के दस्तावेजों पर किसी भी फर्द पर उसके हस्ताक्षर नहीं है।

23. गवाह पी–डब्ल्यू 16 प्रहलादराम ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह दिनांक 17.10.2009 को कॉनिस्टेबल के पद पर पीएस बायतु में कार्यरत था। उस रोज तत्कालीन थानाधिकारी हरजीराम को सूचना मिली कि मालाराम पुत्र अचलाराम, निवासी जूंड ने मोहनसिंह पुत्र रूपाराम का मकान किराए पर ले रखा है। उक्त किराये के मकान में मालाराम अवैध डोडा पोस्त व शराब लाता है और बेचता है। मकान की तलाशी ली जाए तो भारी मात्रा में अवैध शराब व डोडा पोस्त बरामद हो सकते हैं, जिस पर थानाधिकारी हरजीराम ने नोटिस मौतबीर तलबी हेतु देकर रवाना किया, उसके द्वारा स्वतंत्र मौतबीर नरेंद्र कुमार व जेठाराम को कार्यवाही हेतु मौतबीर रहने के लिए बताकर थानाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। फर्द तलबी मौतबीर प्रदर्श पी 1 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा ई से एफ उसकी रिपोर्ट है। वक्त 11:00 ए.एम. पर थानाधिकारी श्री हरजीराम के साथ वह, कॉनिस्टेबल गणेशाराम, अन्य जाब्ता में खेराजराम, केसराराम, सवाईसिंह एएसआई, श्रवणराम के मय मामूरा मौतबीरान नरेन्द्रकुमार व जेठाराम के जरिये सरकारी वाहन व अन्वेषण बॉक्स मय कांटा बाट के थाने से रवाना होकर वक्त 11:05 ए.एम. पर कस्बा बायतु में मालाराम पुत्र अचलाराम, निवासी झुण्ड पुलिस थाना गिड़ा के किराये के रहवासी मकान पर पहुंच दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक पेन्ट शर्ट पहना हुआ व्यक्ति बाहर आया जिसको थानाधिकारी श्री हरजीराम ने मुखबीर सूचना से अवगत करवा कर रूबरू मौतबीरान नाम–पता पूछा तो उसने अपना नाम मालाराम पुत्र अचलाराम होना बताया, जिसको मकान के बारे में पूछा तो मकान मोहनसिंह पुत्र रूपाराम, निवासी बायतु चिमनजी का होना बताया तथा पिछले तीन साल से किराये पर लेना बताया। मालाराम को मुखबीर सूचना से अवगत करवा कर थानाधिकारी मय हमराह जाब्ता ने रूबरू मौतबीरान के जामा तलाशी लिरवा कर मकान में प्रवेश कर मकान के पिछवाड़े में बने कमरे का ताला खुलवाकर खाना तलाशी लेनी शुरू की तो कमरे में डोडा पोस्त, अंग्रेजी शराब, हथकड़ी शराब, अफीम व अफीम का दूध पाया गया। उक्त प्रतिबंधित सामग्री को मालाराम द्वारा अपने कब्जे में रखने बाबत परमिट व लाईसेंस का पूछा तो अपने पास कोई परमिट व लाईसेंस नहीं होना बताया, जिस पर मालाराम का कृत्य धारा

8/15, 17, 18 एनडीपीएस एक्ट व 14, 16, 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से सफेद कट्टे में मिले डोडा पोस्त को कट्टे में से खाली कर तौल किया गया तो कुल तौल 11 किलो 800 ग्राम होना पाया गया, जिनमें से 500–500 ग्राम डोडा पोस्त पृथक–पृथक थैलियों में रसायनिक परीक्षण व कंट्रोल सेम्पल हेतु अलग किए, जिन पर मार्क क्रमशः ए व वी तथा शेष डोडा पोस्त को उसी कट्टे में डाल कर सीलचेपा कर मार्क सी अंकित किया। ताबाद विभिन्न ब्राण्ड के चण्डीगढ़/हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की बोतलों व पव्वों से भरे कुल 9 कार्टूनों पर मार्क क्रमशः डी से एल अंकित किया। एफ सफेद कट्टे में विभिन्न ब्राण्ड की हरियाणा/चण्डीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब से भरी हुई कुल 10 बोतलें व 23 पव्वे मिले, जिनमें से बैग पाईपर व ड्राईजीन ब्राण्ड की बोतलें व मेक्डोव्ल रम का पव्वा रासायनिक परीक्षण हेतु अलग कर सीलचेपा कर मार्क क्रमशः एम, एन, ओ अंकित किया तथा शेष शराब की बोतलों व पव्वों को उसी सफेद कट्टे में डाल कर सीलचेपा कर मार्क पी अंकित किया। एक आसमानी रंग के जरीकन में हथकड़ी शराब पाई जाने पर हथकड़ी शराब को मटकी में खाली कर 750 एमएल की बोतल से माप किया गया तो कुल 26 बोतल हथकडी शराब पाई गई, जिसमें से एक पव्वा वास्ते रासायनिक परीक्षण हेतु अलग कर सीलचेपा कर मार्क क्यू अंकित किया व शेष हथकड़ी शराब को उसी जरीकन में डाल कर सीलचेपा कर मार्क आर अंकित किया। एक सफेद मेणिये की थैली में 850 ग्राम निर्मित अफीम पाया जाने पर उसमें से 30–30 ग्राम अलग कर रासायनिक परीक्षण व कंट्रोल सेम्पल हेतु अलग कर सीलचेपा कर मार्क क्रमशः एस व टी तथा शेष माल को उसी मोणिये की थैली में डालकर सीलचेपा कर मार्क यू अंकित किया। एक अन्य मेणिये की थैली में 180 ग्राम अफीम का दूध पाया जाने पर उसमें से 30–30 ग्राम रासायनिक परीक्षण व कंट्रोल सेम्पल हेतु अलग कर सीलचेपा कर मार्क वी व डब्ल्यू अंकित किया तथा शेष अफीम के दूध को उसी मेणिये की थैली में डालकर सीलचेपा कर मार्क एक्स अंकित किया। खाना तलाशी के दौरान उसी कमरे में एक कांटी जो अफीम तौलने के काम आती है व एक तौले का बाट, एक तराजू तथा 1 कि.ग्रा. व 500 ग्राम के बाट मिले, जिनको वास्ते वजह सबूत जब्त कर एक सफेद कपड़े की थैली में डाल

कर मार्क वाई अंकित किया। तत्पश्चात् मालाराम द्वारा उसी घर में किराये पर लिए अन्य कमरे की खाना तलाशी ली गई तो मालाराम के डबल बेड के सिरहाने 1000–500–100–50–20–10–5 के नोट व 1, 2, व 5 के सिक्कों सहित कुल 84,985/– रुपए पाए गए। जो मालाराम द्वारा अवैध डोडा पोस्त, अंग्रेजी शराब, हथकड़ी शराब, अफीम व अफीम का दूध की बिक्री से प्राप्त करना बताने पर वास्ते वजह सबूत जब्त कर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सीलचेपा कर मार्क जेड अंकित किया। बाद दोनों कमरों की खाना तलाशी के ताले बंद कर चाबियां मालाराम को सुपुर्द की। तत्पश्चात् बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी मुर्तिब की गई। अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाकर नियमानुसार बाद जामा तलाशी गिरफ्तार किया गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही के थानाधिकारी मय हमराह जाब्ता मय जब्तशुदा पैकेट्स मार्क ए से जेड मय अभियुक्त मय अन्वेषण बॉक्स, जरिये सरकारी वाहन मौके से रवाना होकर थाना पहुंचे। जहां एसएचओ ने इस संबंध में प्रकरण संख्या 158 दिनांक 17.10.2009 अंतर्गत धारा 8/15, 17, 18 एनडीपीएस एक्ट व 14, 16 व 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया। जब्तशुदा माल को जमा मालखाना करवाया व अभियुक्त को बंद हवालात करवाया तथा माल को मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया। थानाधिकारी द्वारा आमद दर्ज कर मुलजिम मालाराम के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जिस ओरे में अवैध डोडा पोस्त, अफीम व शराब बरामद हुई, वह मोहनसिंह का घर था। इसी चारदीवारी/बाड़ में एक पक्का मकान बना हुआ था, जिसके चारों तरफ प्रदर्श डी 1 में मार्क 1, 2, 3, 4 बाड़ की चारदीवारी बनी हुई थी। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उपरोक्त में बने मकान के दरवाजे अलग–अलग थे, एक एक्स दरवाजा था और एक ई दरवाजा था। डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड परिसर पक्का मकान था, इसमें केवल पैसे ही बरामद हुए थे। कच्चा मकान जो एच, आई, एक्स, जेड परिसर में बना हुआ था, इसमें दो कच्चे ओरे थे, जिसमें एक ओरे में से अफीम, डोडा व शराब बरामद हुई। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है

कि कच्चा ओरा 'ए', जिसमें अवैध अफीम, डोडा व शराब बरामद हुए, उसमें मालाराम से संबंधित व पहचान संबंधित किसी भी तरीके की कोई वस्तु, कपड़े, बर्तन व बिस्तर आदि कोई चीज बरामद नहीं हुई थी। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जिस कमरे में से पैसे बरामद हुए, वह कमरा मालाराम ने किराए पर ले रखा था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि किरायानामा प्रदर्श पी 29 में कहीं पर भी जिस कच्चे ओरे में से अवैध में से माल बरामद हुआ, का हवाला नहीं है। आस–पास में सौ–दो सौ मीटर की दूरी पर मकान स्थित है। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पड़ोस के किसी भी व्यक्ति को उक्त बरामदगी में न तो मौतबीर रखा, न ही थानाधिकारी ने किसी को गवाह के रूप में रखा।

24. गवाह पी–डब्ल्यू 17 जगदीश राम ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह दिनांक 22.10.2009 को थानाधिकारी पीएस गिड़ा के पद पर कार्यरत था। उस रोज उसे एसपी साहब के आदेश अनुसार मुकदमा नंबर 158/2009 पीएस बायतु की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई, जिस पर उसके द्वारा प्राप्त पत्रावली का अवलोकन कर अनुसंधान प्रारंभ किया था। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान गवाहान हरिराम, गेमरसिंह, लक्ष्मणसिंह, प्रेमाराम, मोहनसिंह, बिरधाराम, नरेश कुमार, किशनाराम, भंवर लाल व सायरगिरी के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए। पर्चा चाक एफआईआर प्रदर्श पी 39 है, जिस पर ए से बी तत्कालीन थानाधिकारी के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति कुल 05 पृष्ठों का प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया था जो प्रदर्श पी 30ए है, जिस पर सी से डी प्रत्येक पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर मय सील है। बाद अनुसंधान मुलजिम मालाराम पुत्र अचलाराम, उम्र 26 वर्ष, निवासी झुण्ड पीएस गिड़ा हाल बायतु चिमनजी के 8/15, 17, 18 एनडीपीएस एक्ट तथा खिलाफ अपराध अंतर्गत धारा 14, 16, 19/54 आबकारी अधिनियम में अपराध प्रमाणित मानकर आरोप पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु पत्रावली एसएचओ बायतु को प्रेषित की, जिस पर उनके द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई

प्रतिपरीक्षा में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा बरामदगी स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया था। गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा बरामदगी स्थल के मकान के स्वामित्व बाबत कोई अनुसंधान नहीं किया गया था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि बरामदगी स्थल मकान के मालिक का नाम मोहन सिंह पुत्र रूपाराम था, अजखुद कहा कि जिसके बयान उसके द्वारा कलमबद्ध किए गए थे। गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि बरामदगी स्थल का ओरा मोहनसिंह पुत्र रूपाराम के कब्जे में हो।

25. गवाह पी–डब्ल्यू 18 महेन्द्र कुमार टॉक ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह दिनांक 12.06.2017 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर के पद पर पदस्थापित था। दिनांक 27.05.2017 को श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर के आदेश की अनुपालना में दिनांक 12.06.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के अनुसरण में प्रकरण संख्या 158/2009 अंतर्गत धारा 8/15, 17, 18 एनडीपीएस एक्ट में इंवेंट्री के सत्यापन व प्रमाणीकरण की कार्यवाही दिनांक 18.06.2017 को पुलिस थाना बायतु में की गई। मालखाना प्रभारी द्वारा जब्तशुदा डोडा पोस्त, निर्मित अफीम, अफीम का दूध व अवैध अंग्रेजी शराब प्रस्तुत किए गए। उसके द्वारा जब्तशुदा माल को चैक किया गया जो सीलबंद हालात में था। उसके द्वारा जब्तशुदा डोडा पोस्त, निर्मित अफीम, अफीम का दूध, अवैध अंग्रेजी शराब की नियमानुसार इंवेंट्री कर रिपोर्ट तैयार की गयी तथा इंवेंट्री के सत्यापन का प्रमाण पत्र तैयार किया गया तथा दौराने कार्यवाही इंवेंट्री उसके द्वारा जब्तशुदा माल के फोटोग्राफ्स भी खिंचवाये गए जो इंवेंट्री रिपोर्ट का भाग है। उसके द्वारा दिनांक 18.06.2017 को इंवेंटी की रिपोर्ट मय फोटोग्राफ्स श्रीमान् के न्यायालय में भिजवाये गए, जिसका अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 40 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा लिखित आदेशिका दिनांक 18.06.2017 प्रदर्श पी 41 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा उसके द्वारा लिखित आदेशिका दिनांक 12.06.2017 प्रदर्श पी 42 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इंवेंट्री की कार्यवाही का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 43 है, जिस

पर ए से बी उसके हस्ताक्षर मय सील अंकित है एवं सी से डी मालखाना प्रभारी हनुमानाराम, ई से एफ श्री ओमप्रकाश थानाधिकारी पुलिस थाना बायतु व जी से एच दौलतसिंह कॉनिस्टेबल फोटोग्राफर के हस्ताक्षर हैं। बाद इंवेंट्री कार्यवाही उसके द्वारा मालखाना से प्राप्त वजह सबूत पुनः थानाधिकारी, पुलिस थाना बायतु की उपस्थिति में मालखाना प्रभारी पुलिस थाना बायतु को सुपुर्द किए गए जो प्रदर्श पी 44 है, जिस पर ए से बी थानाधिकारी ओमप्रकाश के एवं सी से डी मालखाना प्रभारी हनुमानाराम के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा इंवेंट्री की कार्यवाही के दौरान लिए गए फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी 45 से प्रदर्श पी 85 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर मय सील है व सी से डी ओमप्रकाश थानाधिकारी पुलिस थाना बायतु के हस्ताक्षर मय सील है। इंवेंट्री रिपोर्ट कुल 53 पृष्ठ है, जिसके पृष्ठ संख्या 5 पर संपूर्ण कार्यवाही का सत्यापन व प्रमाणीकरण होकर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, जो प्रदर्श पी 86 है। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने बताया कि उसक समक्ष माल जब लाए, तब शराब कार्टुन में थी और बाकी माल कट्टों में था। अजखुद कहा कि माल फोटोग्राफ में दर्शित है। वह यह नहीं बता सकता कि इलेक्ट्रॉनिक कांटा थाने का था या प्राईवेट व्यक्ति का था। अजखुद कहा कि मालखाना प्रभारी ने प्रस्तुत किया था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि इंवेंट्री कार्यवाही के दौरान मालखाने से माल निकालने व उसे जमा कराने के संबंध में मालखाना रजिस्टर में प्रविष्ठी की फोटोप्रति उसके द्वारा प्राप्त नहीं की गई और न ही इंवेंट्री रिपोर्ट के साथ न्यायालय को प्रेषित की गई।

26. पत्रावली का अवलोकन किया। विचारणीय बिन्दु संख्या 1 व अभियुक्त अधिवक्ता के यह तर्क कि इस प्रकरण में एन॰डी॰पी॰एस॰ एक्ट, 1985 के आज्ञात्मक प्रावधानों की पालना नहीं हुई है, के संबंध में आयी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

धारा 42 एन॰डी॰पी॰एस॰ एक्ट, 1985 की पालना

27. विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क है कि मुखबीर की सूचना धारा 42 एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 के तहत मुर्तिब नहीं की गई है और न ही पुलिस उच्चाधिकारियों को भेजी गई है।

28. इस संबंध में पत्रावली पर आई साक्षियों की साक्ष्य का अवलोकन करें तो जब्ती अधिकारी पीडब्ल्यू 06 हरजीराम ने अपने बयानों में यह कहा है कि दिनांक 17.10.2009 को वह थानाधिकारी पीएस बायतु के पद पर पदस्थापित था। उस रोज वक्त 10.15 ए.एम. पर जरिये टेलीफोन मुखबिर खास से उसे सूचना मिली थी कि मालाराम ने मोहनसिंह से बायतु चिमनजी में मकान किराये पर लिया हुआ है। मालाराम इस मकान में अवैध शराब, डोडा पोस्त लाता, रखता व बेचता है, वगैरह इत्तला विश्वसनीय होने पर उसने इत्तला जैसी मिली वैसी लिखते हुए बिना वारंट खाना तलाशी के कारणों की फर्द अंतर्गत धारा 42 एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 47 आबकारी अधिनियम के तहत मुर्तिब की थी जो फर्द प्रदर्श पी 10 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इस सूचना की एक कार्बन प्रति कॉनिस्टेबल सायरगिरी के साथ जिला पुलिस अधीक्षक एवं वृताधिकारी बाड़मेर को प्रेषित की थी। एसपी साहब बाड़मेर को प्रेषित कार्बन प्रति प्रदर्श पी 11 है, जिस पर ए से बी तत्कालीन एसपी बाड़मेर के प्राप्ति के हस्ताक्षर मय तारीख, समय एवं मोहर है व सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। सीओ बाड़मेर को प्रेषित कार्बन प्रति प्रदर्श पी 12 है, जिस पर ए से बी तत्कालीन सीओ बाड़मेर के प्राप्ति के हस्ताक्षर मय तारीख है व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द इत्तला अवैध डोडा पोस्त एवं अवैध शराब प्रदर्श पी 10 के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि उक्त फर्द दिनांक 17.10.2009 को समय 10:15 ए.एम. पर मुर्तिब की गई है। फर्द प्रदर्श पी 11 के अनुसार दिनांक 17.10.2009 को 04:30 पी.एम. पर ही फर्द इत्तला श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर को प्राप्त हो गई तथा फर्द प्रदर्श पी 12 के अनुसार दिनांक 17.10.2009 को ही सीओ बाड़मेर को प्राप्त हो गई। इस प्रकार निर्धारित समय में उक्त सूचना उच्चाधिकारियों को प्राप्त भी हो गई है,

इसलिए मुलजिम के विद्वान् अधिवक्ता का यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

<u>अभियुक्त के आधिपत्य से डोडा पोस्त, अफीम की बटियां, अफीम का दूध व शराब की बरामदगी</u>

29. जब्ती अधिकारी पीडब्ल्यू 6 हरजीराम के बयानों का यदि अवलोकन करें तो उन्होंने अपने बयानों में यह कहा है कि दिनांक 17.10.2009 को वह थानाधिकारी पीएस बायतु के पद पर पदस्थापित था। उस रोज वक्त 10.15 ए.एम. पर जरिये टेलीफोन मुखबिर खास से सूचना मिलने पर इत्तला अनुसार थाने से मय जाब्ता रवाना हुआ था, जिसकी मूल रोजनामचा रपट संख्या 586 प्रदर्श पी 16 है, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी 16ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। थाना से मय मौतबीरान नरेन्द्र कुार व जेठाराम के 11:00 ए.एम. पर रवाना होकर बायतु चिमनजी में स्थित मालाराम के किराये के मकान पर एएसआई की निशादेही पर 11:05 ए.एम. पर पहुंचे थे। मुख्य दरवाजे पर खटखटाने पर एक व्यक्ति पेंट–शर्ट पहने बाहर आया, जिसको नाम–पूछा तो उसने अपना नाम मालाराम होना बताया। मकान के बारे में पूछा तो गत तीन साल से किराये पर लेना व अपने कब्जे में होना बताया, जिस पर मालाराम को मुखबिर की इत्तला से अवगत करवाकर रूबरू मौतबीरान मन एसएचओ एवं हमराह स्टाफ ने अपनी जामा तलाशी सर्वप्रथम मालाराम को देकर मालाराम के किराये के मकान में प्रवेश हुए तो मकान के पिछवाड़े बने पुराने पक्के कमरे के लगे लकड़ी के किवाड़ के लगे ताले को मालाराम के पास मौजूद उसकी चाबी से खुलवाया गया तो उस कमरे के अंदर कांटे–बाट, ताकड़ी, पोस्त डोडो से भरा एक कट्टा, अफीम की बट्टियां, दूध और विभिन्न प्रकार का अंग्रेजी शराब देशी हथकड़ी शराब का जरिकन इत्यादि पाया गया। उक्त मादक पदार्थ अपने कब्जे में रखने बाबत लाईसेंस व परमिट का मालाराम को पूछा तो मालाराम ने ऐसे किसी लाईसेंस परमिट से इनकार किया। बिना परमिट लाईसेंस अवैध रूप से उक्त मादक पदार्थ अपने कब्जे में रखना अपराध धारा 8/15, 17, 18 एनडीपीएस एक्ट व 14, 16, 19/54 एक्साइज एक्ट में दंडनीय होने से कमरे में मिले मादक पदार्थ

का माप–तौल व गिनती की गई तो निम्न प्रकार पाए गए – एक कट्टे में 11 किग्रा 800 ग्राम पोस्त डोडे मिले, जिसमें से 500–500 ग्राम के नमूना व कंट्रोल सैंपल लेकर सील बंद किया। नमूना सेंपल पर मार्क ए, कंट्रोल सेंपल पर बी व वजह सबूत माल पर मार्क सी अंकित किया। अंग्रेजी शराब ऑफिसर चोईस का एक कार्टून बोतलों से भरा हुआ मिला, जिसको सीलबंद कर मार्क डी अंकित किया। सिल्वर पैग विस्की की बोतलों के दो कार्टून मिले, जिसको सीलचेपा कर मार्क ई व एफ अंकित किया। बैग पाईपर बोतलों के तीन कार्टून मिले, जिनको सीलबंद कर मार्क जी, एच व आई अंकित किया। बैग पाईपर पव्वों के दो कार्टून मिले, जिन्हें सीलबंद कर मार्क जे व के अंकित किया। सिल्वर पैक पव्वों का एक कार्टून मिला, जिसको सीलबंद कर मार्क एल अंकित किया। एक सफेद कट्टे में बैग पाईपर की 6 बोतलें, ड्राईजीन की 2 बोतलें, मैक्डोवल की 1 बोतले, पार्टी स्पेशल की 1 बोतल, मैक्डोवल रम का 1 पव्वा, ड्राईजीन के 19 पव्वे, ऑफिसर चोईस के 3 पव्वे मिले, जिनमें से बैगपाईपर की 1 बोतल, ड्राईजीन की 1 बोतल व मैक्डोवल रम का 1 पव्वा नमूना सेंपल हेतु अलग–अलग सीलबंद कर मार्क एम, एन व ओ अंकित किया। शेष शराब को उसी कट्टे में सीलचेपा कर मार्क पी अंकित किया। एक हरे नीले रंग के जरीकन में हथकड़ी शराब की एक खाली 750 एम.एल. की बोतल भरकर माप किया तो हथकड़ी शराब 26 बोतल पाई गई, जिसमें से एक पव्वा शराब से भरकर वास्ते नमूना सेंपल सीलबंद कर मार्क क्यू अंकित किया। शेष हथकड़ी शराब जो माप करने के लिये एक खाली मटके में डाली गई थी को पुनः जरीकन में डालकर सीलचेपा कर मार्क आर अंकित किया। एक मेणिये की थैली में अफीम की बटियां मिली, जिनका तौल किया तो 850 ग्राम हुआ, जिसमें से 30–30 ग्राम अफीम की बटियां वास्ते नमूना व कंट्रोल सेंपल अलग–अलग लेकर प्लास्टिक की थैली में डालकर थैली को प्लास्टिक की डिब्बियों में बंद कर मार्क एस व टी अंकित कर सीलबंद किया। शेष अफीम 790 ग्राम को एक सफेद कपड़े की थैली में सीलबंद कर मार्क यू अंकित किया। एक मेणिये की थैली में गाढ़ा भूरा–काला तरल पदार्थ मिला जो सूंघा, परखा तो अफीम दूध होना पाया जो वजन में 180 ग्राम होना पाया, जिसमें से 30–30 ग्राम अफीम का दूध वास्ते नमूना व कंट्रोल

सेंपल अलग–अलग लेकर प्लास्टिक की थैली में डालकर थैली को प्लास्टिक की डिब्बियों में बंद कर मार्क वी व डब्ल्यू अंकित कर सीलबंद किया। शेष 120 ग्राम अफीम का दूध उसी मेणिये की थैली में रहने दिया जाकर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलबंद कर मार्क एक्स अंकित किया। एक पीतल की छोटी ताकड़ी एवं एक पुराना सिक्का एक तौला वजनी तथा पोस्त डोडा तौलने का तराजू नैलको कंपनी का, एक कि.ग्रा. का एक व 500 ग्राम का एक बाट भी मौके पर मिले, जिनको भी एक सफेद कट्टे में डालकर सीलचेपा कर मार्क वाई अंकित किया। उक्त कमरे के बाहर मालाराम के बैठक के कमरे की तलाशी ली गई तो डबल बैड के सिरहाने 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5 के नोट व रैजकी कुल 84,985/– रुपए मिले जो उक्त मादक पदार्थ की बिक्री से संबंधित होने का संदेह होने पर कब्जा पुलिस लेकर सील बंद कर मार्क जेड अंकित किया। उक्त दोनों स्वतंत्र मौतबीरान नरेन्द्र कुमार और जेठाराम न्यायालय में परीक्षित हुए हैं तथा पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। गवाह पीडब्ल्यू 3 नरेन्द्र कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में पुलिस द्वारा उसके सामने किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं किए जाने का कथन किया है। विद्वान् विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने फर्द तहरीर मौतबीरान प्रदर्श पी 1 व फर्द सहमति प्रदर्श पी 2 पर ए से बी अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। फर्द सहमति प्रदर्श पी 2 की सी से डी लिखावट उसकी कलमी है, परंतु गवाह ने हाजिर अदालत मुलजिम को नहीं जानता का कथन किया है। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 3, फर्द खाना तलाशी प्रदर्श पी 4 व फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 5 पर ए से बी गवाह ने अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। गवाह ने नक्शा बरामदगीस्थल प्रदर्श डी 1, फर्द सूचना गिरफ्तारी प्रदर्श पी 6 व फर्द गिरफ्तारी मुलजिम प्रदर्श डी 2 पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है, परंतु गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि दिनांक 17.10.2009 को 10:35 ए.एम. पर पुलिस वाले उसको मौतबीर बनाकर ले गए हो तथा उसने मौतबीर बनने की सहमति दी हो तथा बाद में मुलजिम मालाराम के मकान से डोडा व अन्य की बरामदगी की हो। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 7 का सुसंगत भाग भी देने से इंकार किया है। इस प्रकार के बयान पीडब्ल्यू 4 जेठाराम ने भी कहे हैं,

अर्थात् दोनों ही स्वतंत्र मौतबीरान उनके समक्ष बरामदगी की कार्यवाही से इंकार करते हैं। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 3 का यदि अवलोकन करें तो इस पर अन्य किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं, इसलिए अन्य गवाहान की जब्ती के संबंध में उपस्थिति और उनके सामने जब्ती की कार्यवाही होना संदेहास्पद हो जाता है।

30. इस प्रकार बरामदगी के स्वतंत्र गवाहों की साक्ष्य के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत – सुप्रीम कोर्ट क्रिमीनल अपील संख्या 871/2021 संजीत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना कुमार सिंह बनाम छतीसगढ राज्य निर्णय दिनांक 30.08.2022 में यह प्रतिपादित किया गया है कि :– "It is true that Section 54 of the Act raises a presumption and the burden shifts on the accused to explain as to how he came into possession of the contraband. But to raise the presumption under Section 54 of the Act, it must first be established that a recovery was made from the accused. It is no doubt true that corroboration by independent witnesses is not always necessary. But once the prosecution comes up with a story that the search and seizure was conducted in the presence of independent witnesses and they also choose to examine them before Court, then the Court has to see whether the version of the independent witnesses who turned hostile is unbelievable and whether there is a possibility that they have become turncoats."

31. इस प्रकार इस प्रकरण में भी पुलिस ने स्वतंत्र गवाह जब्ती कार्यवाही में रखे हैं, लेकिन वह बरामदगी की पुष्टि नहीं करते, इसलिए बरामदगी साबित नहीं है।

<u>अन्य प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना</u>

32. वकील अभियुक्त का तर्क है कि जब्ती में प्रयुक्त सील नष्ट नहीं की गई थी और मालखाना में जमा नहीं करवायी, इससे जब्ती संदेहास्पद हो जाती है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 30ए का अवलोकन करें तो प्रदर्श पी 30ए में प्रकरण में प्रयुक्त पीतल की गोल मोहर मालखाना में जमा करवाने का इंद्राज नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में प्रयुक्त पीतल की सील को नष्ट किया या स्वतंत्र गवाहों

को सौंपा या मालखाना में जमा करवाया, इस संबंध में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं आयी है। इस प्रकार सील संबंधी प्रक्रियात्मक प्रावधानों की भी पालना नहीं हुई है।

33. वकील अभियुक्त का यह भी तर्क है कि माल एफएसएल तीन दिन बाद जमा कराया जो भी मामले को संदिग्ध बना देता है, इस संबंध में पत्रावली पर आयी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो जाहिर होता है कि दिनांक 17.10.2009 को माल मालखाना में जमा करवाया गया और दिनांक 20.10.2009 को कॉनिस्टेबल लक्ष्मणसिंह जब्तशुदा पैकेट मार्क ए, एस, वी तथा दिनांक 20.10.2009 को कॉनिस्टेबल गेमरसिंह जब्तशुदा पैकेट एम, एन, ओ, क्यू एस.पी. ऑफिस, बाड़मेर लेकर आए। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 19 व 33 का यदि अवलोकन करें तो दिनांक 21.10.2009 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करवाया गया। इस प्रकार दिनांक 17.10.2009 से 20.10.2009 तक उपर्युक्त माल थाने में तथा कॉनिस्टेबल लक्ष्मणसिंह व गेमरसिंह के पास रहा, जबकि सील नष्ट नहीं की गई, न ही स्वतंत्र गवाहों को सौंपी गयी, ऐसे में उक्त माल से छेड़छाड़ की भी पूरी संभावना रहती है। अतः इन प्रक्रियात्मक प्रावधानों की स्पष्ट तौर पर अवहेलना हुई है।

34. इस प्रकार अभियुक्त से बरामदगी साबित नहीं है तथा अन्य प्रक्रियात्मक उपबंधों की भी अवहेलना की गई है। ऐसे में अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

35. उपर्युक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि दिनांक 04.12.2009 को समय 10:15 ए.एम. पर थानाधिकारी, पुलिस थाना बायतु, जिला बाड़मेर को मिली सूचना पर मय जाब्ता के ग्राम बायतु में अभियुक्त मालाराम के किरायेशुदा मकान पर पहुंच कर नियमानुसार तलाशी लिए जाने पर मकान के पिछवाड़े में बने ओरेनुमा कमरे में एक कट्टे में 11 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्त, एक मेणीये की थैली में 850 ग्राम विनिर्मित अफीम तथा एक मेणीये की थैली सहित 180 अफीम का दूध बरामद हुआ, जिसके संबंध में उसके पास कोई वैध

अनुज्ञा पत्र/परमिट नहीं था एवं अंग्रेजी शराब अफिसर चोईस शराब से भरी बोतलों का कार्टून, सिल्वर पेग विस्की की शराब से भरी बोतलों के दो कार्टून, बेग पाईपर विस्की शराब से भरी बोतलों के तीन कार्टून, बेग पाईपर विस्की शराब से भरे पव्वों के दो कार्टून, सिल्वर पेग विस्की के शराब के भरे पव्वों का एक कार्टून, एक सफेद कट्टे में बेग पाईपर विस्की की छः बोतलें, ड्राईजिन शराब की दो बोतलें, मेक्डोव्ल नंबर 01 विस्की की एक बोतल, पार्टी स्पेशल विस्की की एक बोतल, मेक्डोव्ल नंबर 01 रम का एक पव्वा, ड्राईजिन के 19 पव्वे, ऑफिसर चाईस के तीन पव्वे, एक प्लास्टिक के जरीकेन में 26 बोतलें हथकड़ी शराब से भरी हुई मिली, जिन्हें आधिपत्य में रखने, विनिर्माण करने, संग्रहण या विक्रय करने का उसके पास कोई वैध अनुज्ञापत्र/परमिट नहीं था। अतः अभियुक्त मालाराम को आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 8/15, 8/17, 8/18 एन॰डी॰पी॰एस॰ एक्ट तथा 14, 16, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

36. अतः अभियुक्त **मालाराम पुत्र अचलाराम, निवासी झुण्ड पुलिस थाना गिड़ा, हाल बायतु चिमनजी, पुलिस थाना बायतु** को धारा 8/15, 8/17, 8/18 एन॰डी॰पी॰एस॰ एक्ट तथा 14, 16, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

प्रकरण में बरामदा सेम्पल आदि बाद गुजरने मियाद अपील निर्णय के नियमानुसार नष्ट किए जाए तथा प्रकरण में मुलजिम मालाराम से जब्त राशि 84,985/– रुपए बाद गुजरने मयाद अपील/रिवीजन नियमानुसार मुलजिम मालाराम को लौटा दी जावे।

(डॉ॰ सिम्पल शर्मा)

37. निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(डॉ॰ सिम्पल शर्मा)